पीजीएस-इंडिया- परिचालन नियमावली
(PGS-India Operational Manual)

अध्याय 1

1.1 **पीजीएस-इंडिया - परिचय**

सहभागिता गारंटी प्रणाली या पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया (पीजीएस-इंडिया) एक गुणवत्ता आश्वासन संबंधी पहल है जो स्थानीय रूप से प्रासंगिक है, जिसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर ज़ोर दिया जाता है, और थर्ड पार्टी द्वारा प्रमाणन के फ्रेम से बाहर कार्य करती है। **IFOAM (**2008) की परिभाषा के अनुसार, "सहभागिता गारंटी प्रणाली स्थानीय रूप से केंद्रित गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है जिसके अन्तर्गत, हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के आधार पर उत्पादकों को प्रमाणित किया जाता है और उन्हें विश्वास, सामाजिक नेटवर्क और जानकारी के आदान-प्रदान की नींव पर बनाया जाता है।" जैविक कृषि के मामले में पीजीएस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग समान परिस्थितियों में (इस मामले में उत्पादक) एक दूसरे की उत्पादन प्रथाओं का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं और सामूहिक रूप से समूह की संपूर्ण होल्डिंग को जैविक घोषित करते हैं।

पीजीएस-इंडिया में कई मूलभूत बाते हैं जो एक सहभागी दृष्टिकोण, एक साझा दृष्टि, पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित हैं। सहभागिता पीजीएस का एक आवश्यक और महत्वपूण भाग है। प्रमुख हितधारक (उत्पादक, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, व्यापारी एवं अन्य जैसे, एनजीओ, पीजीएस-फैसिलिटेटर और सर्विस प्रोवाइडर) इसकी क्षमता निर्माण में सहायता कर रहे हैं और किसानों को समूह-गठन, प्रणाली-संचालन, निर्णय लेने और विश्वास-प्रबंधन में जागरूक कर रहे हैं। पीजीएस के संचालन में, हितधारक (उत्पादकों सहित) पीजीएस के संचालन के बारे में निर्णय लेने और आवश्यक निर्णय लेने में शामिल रहते हैं। पीजीएस समूह पीजीएस के कार्य में शामिल होने के अलावा, हितधारकों, विशेष रूप से खेत-उत्पादक एक ढॉचागत रूप में चल रही सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जो उन्हें जो उनके कार्य को बेहतर करने में सहायता करता है। सीखने की प्रक्रिया आमतौर पर साथ-साथ चलती है जो खेतों में दिए गए समय या कार्यशालाएँ के माध्यम से होती हैं। भागीदारी का विचार पीजीएस की जैविक भरोसा/विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का प्रतीक है।

यद्यपि पीजीएस-इंडिया मूल रूप से एक किसान समूह केंद्रित जैविक गारंटी प्रणाली है, लेकिन सभी प्रकार के उत्पादकों, प्रोसेसर, हैंडलर और व्यापारियों को एकीकृत करने के लिए, खेत से भोजन तक मूल्य-श्रृंखला को पूरा करने, और जैविक कृषि आंदोलन में केंद्रीय मार्गदर्शक बल के रूप में भूमिका अदा करने के लिए, यह उत्पादक समूहों से अलग, पीजीएस समूहों, संगठित प्रसंस्करण, भंडारण, हैंडलिंग और पैकेजिंग और व्यापारिक संस्थाओं के तहत एकल उत्पादकों, एकल प्रसंस्करण और हैंडलिंग सुविधाओं तक मार्ग प्रशस्त करता है। एंड-टू-एंड ट्रैसेबिलिटी (एफएसएस [ऑर्गेनिक फूड्स] रेगुलेशन 2017 के तहत विनियामक ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार) को सुनिश्चित करने के लिए, पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम में उत्पादक समूहों से शुरू होकर उत्पाद के प्रसंस्कृत होने और अंततः खुदरा पैक में पैक होने तक, एक निर्बाध श्रृंखला उपस्थित रहती है।

पारंपरिक रूप से जैविक क्षेत्रों को जैविक और मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और स्वस्थ प्रमाणित जैविक खाद्य हेतु पारंपरिक जैविक प्रथाओं का लाभ उठाते हुए, पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम वार्षिक आधार पर ग्रामानुसार अनुरूपता मूल्यॉकन अपनाते हुए ग्राम परिषद और ग्राम पंचायतों में आपस में सटे हुए बड़े क्षेत्रों के प्रमाणीकरण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।

1.2 पीजीएस-इंडिया संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत

अंतर्राष्ट्रीय रुझानों और **IFOAM** के **PGS** दिशानिर्देशों के अनुरूप, **PGS-India** कार्यक्रम भागीदारी दृष्टिकोण, एक साझा दृष्टि, पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित है। एक अनूठी विशेषता के रूप में पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम पीजीएस की भावना को प्रभावित किए बिना पीजीएस आंदोलन को एक राष्ट्रीय मान्यता और संस्थागत ढॉचा प्रदान करता है। इसके अलावा, पीजीएस-इंडिया उन एकल किसानों की भी सहायता करता है जो समूह बनाने में असमर्थ हैं या न्यूनतम संख्या और पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों में स्थित उत्पादकों से कम हैं। इसलिए हितधारकों की विभिन्न श्रेणी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीजीएस-इंडिया मार्गदर्शी सिद्धांतों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: (क) समूह (ख) एकल उत्पादक/प्रोसेसर/हैंडलर और (ग) पारंपरिक डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्र

1.2.1 पीजीएस समूहों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

1.2.1.1 भागीदारी

भागीदारी पीजीएस का एक अनिवार्य अंग है। प्रमुख हितधारक (उत्पादक, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, व्यापारी और अन्य जैसे, एनजीओ) इसकी प्रारंभिक रचना से लेकर संचालन और निर्णयकर्ता की भूमिका में संलग्न रहते हैं ।

भागीदारी का विचार पीजीएस की जैविक विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का प्रतीक है और इसकी सामूहिक जिम्मेदारी निम्न द्वारा परिलक्षित होती है:-

- **PGS** का साझा स्वामित्व
- विकास प्रक्रिया में हितधारक का जुड़ाव
- प्रणाली के कार्य करने के बारे में जानकारी, और
- उत्पादकों और उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच सीधा संवाद

और ये सब मिलकर, भरोसा आधारित दृष्टिकोण और विश्वास को रूप देने में मदद करते हैं। इस भरोसे को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शी परिचालन प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिसके तहत निर्णय लेने में पारदर्शिता, डेटाबेस तक सरल पहुँच, और यथासंभव उपभोक्ताओं की भागीदारी तथा यात्रा के लिए सुविधा होनी चाहिए । निर्णय लेने में व्यापारियों/खुदरा विक्रेताओं या उपभोक्ताओं की भागीदारी सभी परिस्थितियों में संभव नहीं हो सकती है, लेकिन किसी न किसी रूप में उनकी सहभागिता से समूह की विश्वसनीयता और भरोसा बढ़ता है ।

1.2.1.2 साझा दृष्टि

कार्यान्वयन और निर्णय लेने की सामूहिक जिम्मेदारी आम साझा दृष्टि से संचालित होती है। सभी प्रमुख हितधारक (निर्माता, सुगम एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन और यहां तक कि राज्य

सरकारें) पीजीएस द्वारा प्राप्ति के लिए प्रयासरत मार्गदर्शी सिद्धांतों और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं । यह प्रारंभ में इसकी रचना में उनकी भागीदारी और सहायता द्वारा और फिर इसमें शामिल होकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए लिखित रूप में प्रतिबद्धता दर्शाई जा सकती है जिसके लिए एक आवेदनपत्र/दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किया जाता है जिसमें उनका विजन शामिल होता है ।

1.2.1.3 पारदर्शिता

उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों में गारंटी प्रणाली की कार्य-प्रणाली (जिसमें मानक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्रलेखित प्रणालियों सहित जैविक गारंटी प्रक्रिया (मानदंड) और निर्णय की प्रक्रिया शामिल हैं) की जानकारी होने से पारदर्शिता उत्पन्न होती है । पीजीएस समूहों के बारे में प्रलेखन और जानकारी तक आम आदमी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जैसे, प्रमाणित उत्पादकों की सूची और उनके खेतों और गैर-अनुपालन वाले कार्यों के बारे में जानकारी। ये पीजीएस-इंडिया पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी । एनईसी समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देशों को परिभाषित करेगा कि सार्वजनिक डोमेन में क्या दिखाई देना चाहिए और क्या नहीं।

जमीनी स्तर पर जैविक गारंटी प्रक्रिया में उत्पादकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखी जाती है, जिसमें निम्न बाते शामिल हो सकती हैं -

- बैठकों और कार्यशालाओं में सूचना साझा करना
- आंतरिक निरीक्षण में भागीदारी (सहकर्मी समीक्षा)
- निर्णय लेने में भागीदारी।

1.2.1.4 भरोसा

जिस विश्वास के आधार पर पीजीएस बनाया गया है वह इस विचार में निहित है कि उत्पादकों पर भरोसा किया जा सकता है और जैविक गारंटी प्रणाली इस विश्वास की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती है। इस भरोसे की नींव इस विचार से बनी है कि प्रमुख हितधारक सामूहिक रूप से अपनी साझा दृष्टि विकसित करते हैं और फिर सामूहिक रूप से पीजीएस के माध्यम से अपनी दृष्टि को आकार देते रहेंगे और इसे सुदृढ़ बनाना जारी रखेंगें । यह भरोसा जिस तरह से परिलक्षित होता है वह पूरी तरह से उन कारकों पर निर्भर हो सकता है जो सांस्कृतिक रूप से/सामाजिक रूप से पीजीएस समूह के लिए विशिष्ट हैं।

भरोसे के विचार में यह निहित है कि एकल उत्पादक की प्रकृति और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और"पीजीएस-इंडिया मानकों" के तहत परिभाषित जैविक उत्पादन प्रणालियों द्वारा भलाई करने की प्रतिबद्धता है।
भरोसेमंदी व्यक्त करने की व्यवस्था निम्न पर आधारित हैं:

- प्रतिज्ञा दस्तावेज के साक्षी हस्ताक्षर के माध्यम से घोषणा (उत्पादक-प्रतिज्ञा)
- पीजीएस-इंडिया के मानदंडों, सिद्धांतों, मानकों का पालन करने के लिए समूह द्वारा लिखित सामूहिक वचनबद्धता और अपने साथियों के लिए विश्वास बनाए रखना

इस प्रकार, पारदर्शिता के बल पर हितधारकों द्वारा सामूहिक विश्वास के विचार को संस्थागत और लगातार मान्य किया जाता है।

1.2.1.5 आपसी समानता (Horizontality)

पीजीएस-इंडिया का उद्देश्य समूह स्तर पर गैर-श्रेणीबद्ध होना है। यह समग्र लोकतांत्रिक ढांचे में एक दूसरे के खेतों की सहकर्मी समीक्षा में सीधे उत्पादकों को संलग्न करके, पीजीएस समूह की सामूहिक जिम्मेदारी साझा करके, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता द्वारा प्रतिबिंबित होगा ।

1.2.2 एकल उत्पादकों, ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के लिए दिशा-निर्देश

संगठित प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री में एकल कृषि उत्पादकों और पीजीएस-इंडिया प्रमाणित जैविक कृषि उपज का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, पीजीएस-इंडिया, निम्न सिद्धांत के आधार पर खेतों, ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए जैविक विश्वसनीयता की निरंतर जॉच की एक प्रणाली प्रदान करता है।

1.2.2.1 एकल फार्म उत्पादक

पीजीएस-इंडिया जैविक गारंटी प्रणाली की पहुंच उन एकल किसानों तक सुनिश्चित करने के लिए जो समूहों से दूर क्षेत्रों में रहते हैं और ग्राम समुदाय के अन्य सदस्य अभी तक जैविक को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम में, समूहों के लिए पीजीएस-इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आस-पास के पीजीएस-इंडिया समूहों से सत्यापन और गारंटी द्वारा इन खेतों को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। असाधारण मामलों में जहां ऐसी गारंटी के लिए पास में कोई पीजीएस-इंडिया समूह नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से राष्ट्रीय संस्थागत संगठन ऐसे किसानों को पीजीएस-इंडिया गारंटी प्रक्रिया के अनुपालन के सत्यापन के लिए सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे किसानों को समूह बनाने और, जब भी संभव हो, पीजीएस-इंडिया समूहों का हिस्सा बनने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन गांवों में अकेले किसान जहां पीजीएस-इंडिया समूह मौजूद हैं या ऐसे पीजीएस-इंडिया समूहों के नजदीकी गांवों में हैं, उन्हें उन समूहों के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

1.2.2.2 समूह द्वारा अपने स्वयं के या किराए की सुविधाओं में ऑन-फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग

पीजीएस स्थानीय समूह द्वारा ऑन-फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग पीजीएस-इंडिया समूहों का अभिन्न अंग है और पीजीएस-इंडिया के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार कवर किया जाएगा जिसमें समूह द्वारा सहकर्मी मूल्यांकन और निर्णय लेना शामिल है। समूहों के लिए पीजीएस-इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार फार्म से दूर किराए की सुविधाओं के तहत ऑफ-फार्म प्रसंस्करण भी किया जाएगा, बशर्ते पूरा ऑपरेशन पीजीएस समूह की देखरेख में किया जाता है।

1.2.2.3 पीजीएस-समूहों से दूर अलग सुविधाओं में गैर-कृषि प्रसंस्करण और हैंडलिंग

ऐसे मामलों में पीजीएस-इंडिया के तहत प्रमाणीकरण तीसरे पक्ष प्रमाणन प्रणाली के समान "अनुरूपता मूल्यांकन और सत्यापन" मानदंड अपनाकर किया जाएगा और पीजीएस-इंडिया जैविक प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए एकल इकाइयों को अनुमोदित किया जाएगा।

1.2.3 पीजीएस-इंडिया के तहत बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों को जैविक में बदलने के लिए दिशा-निर्देश

भारत परंपरागत रूप से जैविक रहा है और कई क्षेत्र अभी भी जैविक बने हुए हैं। प्रलेखन, प्रत्यक्ष सत्यापन और मानकों के अनुपालन के लिए अन्य आवश्यकताओं में जटिलताओं के कारण ऐसे क्षेत्रों को पारंपरिक रूप से जैविक होने के बावजूद जैविक नहीं माना जा सकता है। पीजीएस-इंडिया निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताओं के साथ पीजीएस-इंडिया के समग्र दिशा-निर्देशों के तहत इन क्षेत्रों को जैविक रूप से मुख्यधारा में लाने का अवसर प्रदान करता है:

• कई वर्षों से पीजीएस-इंडिया मानकों का अनुपालन करने वाले केवल बड़े सन्निहित क्षेत्रों पर विचार किया जाता है ।

• स्थानीय/राज्य प्रशासन आश्वासन देता है कि सिंथेटिक इनपुट और जीएमओ के उपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध है और निषिद्ध पदार्थों की बिक्री/आपूर्ति के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

• ऐसे क्षेत्र भौगोलिक रूप से पारंपरिक क्षेत्र से अलग-थलग हैं और पहाड़ियों, गैर-कृषि भूमि, समुद्र, नदियों, जंगलों या किसी अन्य प्रभावी अवरोध से अलग हैं।

• क्षेत्र के सभी किसानों द्वारा पीजीएस-इंडिया जैविक खेती नीति और प्रथाओं को अपनाना और ग्राम परिषदों या ग्राम पंचायतों द्वारा इसकी पुष्टि करना ।

1.3 राष्ट्रीय नेटवर्किंग

पीजीएस इंडिया का लक्ष्य पीजीएस की भावना को बरक़रार रखते हुए पूरे आंदोलन को एक संस्थागत स्वरूप देना भी है। यह विभिन्न सुविधा एजेंसियों, ऑचलिक परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में पीजीएस-इंडिया सचिवालय तथा शीर्ष कार्यान्वयन एवं नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से समूहों की नेटवर्किंग द्वारा एक मंच प्रदान करके किया जा सकता है। लेकिन हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शीर्ष निकाय सहित ये एजेंसियां समूह के कामकाज और निर्णय लेने में हस्तक्षेप न करें। प्रणाली की ताकत देश भर में समान राष्ट्रीय मानकों और समान कार्यान्वयन रणनीतियों के माध्यम से सभी हितधारकों को जोड़ने की अपनी क्षमता में निहित है, जो पूरे देश में संपूर्ण जानकारी, पारदर्शिता और प्रणाली में लगातार सुधार की दिशा में काम करने की इच्छा को प्रदर्शित करती है।

1.4 **पीजीएस-इंडिया प्रमाणन सेवाएं एवं शुल्क**

पीजीएस-इंडिया प्रमाणन सेवाओं को राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, पीजीएस सचिवालय, ऑचलिक एवं क्षेत्रीय परिषदों और स्थानीय समूहों से युक्त एक संस्थागत नेटवर्क के माध्यम से सुगम बनाया जाता है। यद्यपि अधिकांश संस्थागत सेवाएं पीजीएस सचिवालय द्वारा नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं, क्षेत्रीय परिषद का प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह का प्रत्यक्ष निरीक्षण, क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के प्रमाणन का अनुमोदन, अकेले किसानों, प्रसंस्करण इकाइयों या बड़े क्षेत्र के प्रमाणीकरण का प्रत्यक्ष निरीक्षण और प्रमाणन प्रदान करना, भुगतान आधारित सेवाएं हैं, और उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान एनईसी के निर्णय के अनुसार समय-समय पर संशोधित और/या क्षेत्रीय परिषद और स्थानीय समूह और अन्य ऑपरेटरों के बीच सहमति के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय 2

2.1 परिचालन संरचना

पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संचालित किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च निर्णय एवं अपील का प्राधिकार सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास होगा । पीजीएस-इंडिया की योजनाबद्ध संचालन-संरचना निम्न रूप में है:

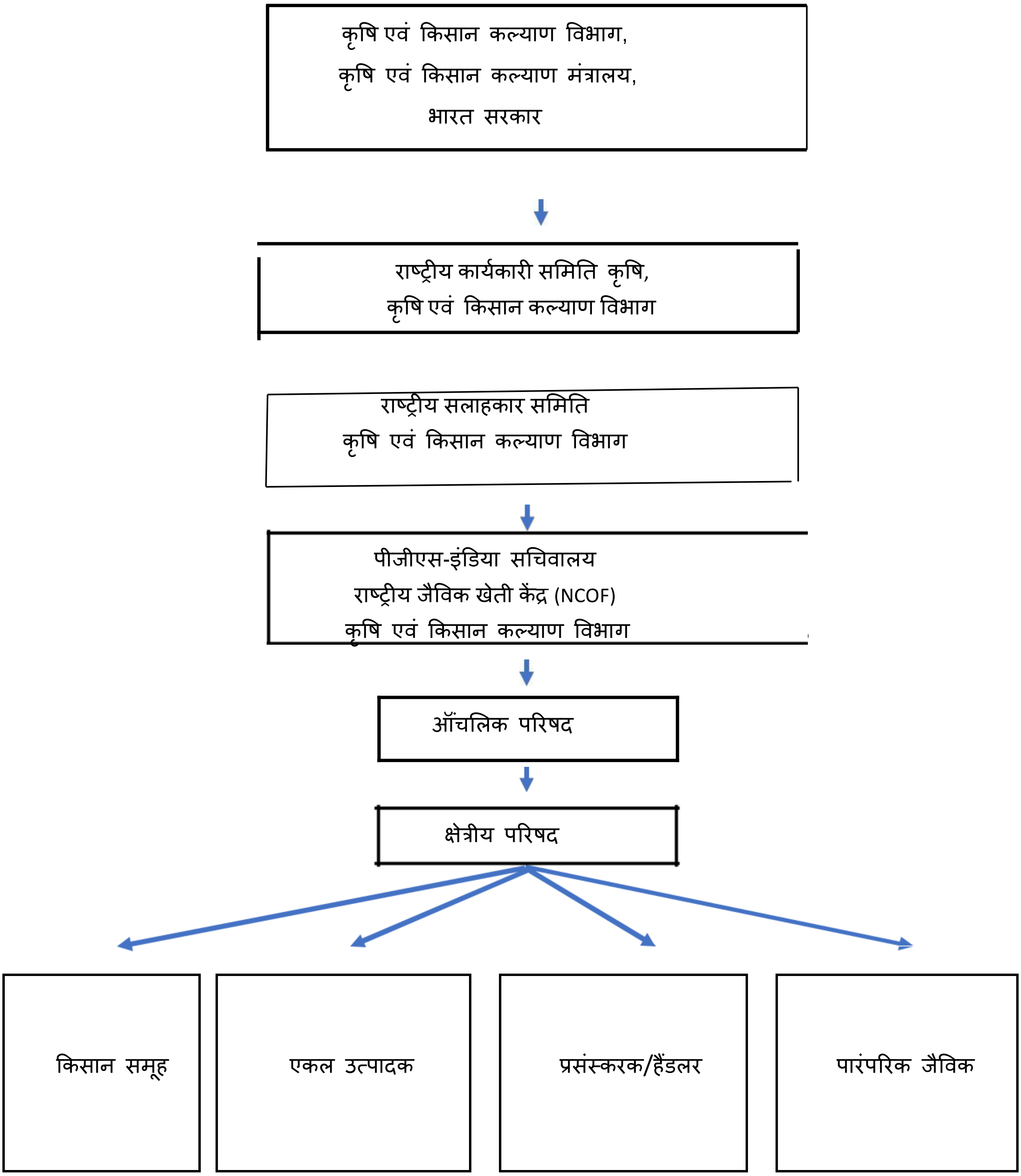

2.2 सरंचना, भूमिका एवं दायित्व

2.2.1 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW), भारत सरकार

पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन, निर्देशों और प्राधिकरण के तहत संचालित किया जाएगा। सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समग्र नियंत्रण प्राधिकारी होंगे।

2.2.2 राष्ट्रीय सलाहकार समिति (पीजीएस-एनएसी)

सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, निम्नलिखित संरचना के साथ पीजीएस-इंडिया राष्ट्रीय सलाहकार समिति (यहां पीजीएस-एनएसी के रूप में संदर्भित) नामक एक शीर्ष नीति निर्माण और कार्यक्रम संचालन और पर्यवेक्षण समिति का गठन करेंगे:

2.2.2.1 संरचना

एनएसी की अध्यक्षता अपर सचिव, (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) करेंगे और सदस्यों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, वाणिज्य विभाग, आईसीएआर, पीजीएस से लिया जाएगा। सचिवालय तथा अन्य सरकारी या निजी संगठन- जिनके पास जैविक खेती और जैविक खेती गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में अनुभव है। सरकारी विभागों और संगठनों के सभी सदस्य पदेन-सदस्य (Ex-officio) होंगे। पीजीएस-इंडिया एनईसी के अध्यक्ष, एनएसी के सदस्य-सचिव होंगे। एनएसी को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आईएनएम डिवीजन द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी। एनएसी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार या आवश्यकता पड़ने पर होगी।

2.2.2.2 भूमिकाएं एवं दायित्व

1. संचालन एवं नीति दिशा-निर्देशों तथा पीजीएस-इंडिया मानकों को परिभाषित करना।
2. समग्र रूप से कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय समन्वय संरचना में परिवर्तन, सुधार और संशोधन करना।
3. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन करना ।
4. राष्ट्रीय स्तर पर पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन का संचालन एवं पर्यवेक्षण।
5. एनईसी और पीजीएस-इंडिया सचिवालय को प्राधिकार एवं दायित्वों का प्रत्यायोजन ।
6. अन्य प्रमाणन प्रणालियों तथा नियामक निकायों के साथ नीति समन्वय, अभिसरण और सुसंगति स्थापित करना।

2.2.3 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति निम्नलिखित घटक वाली पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम हेतु कार्यक्रम-कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन एवं निर्णय लेने वाली संस्था होगी:

1.	संयुक्त सचिव (आईएनएम),डीए एवं एफडब्ल्यू	अध्यक्ष
2.	अपर आयुक्त (आईएनएम)	सदस्य
3.	निदेशक, राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र	कार्यकारी सचिव

4. प्रमुख, ऑचलिक परिषद (आरसीओएफ) - 2 सदस्य
5. प्रमुख, ऑचलिक परिषद (गैर-सरकारी) सदस्य
6. प्रतिनिधि एपीडा सदस्य
7. प्रतिनिधि एफएसएसएआई सदस्य
8. क्षेत्रीय परिषद प्रतिनिधि - 4 सदस्य (प्रत्येक क्षेत्र से एक)
9. किसान प्रतिनिधि - 4 सदस्य (प्रत्येक क्षेत्र से एक)

समिति के पहले चार सदस्य स्थायी सदस्य होंगे, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व उनके पद से होता है। क्षेत्रीय परिषदों के प्रतिनिधि को दो वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए रोटेशन के आधार पर समिति में नामित किया जाएगा। किसानों के प्रतिनिधियों का चयन समिति के अन्य सदस्यों द्वारा दो वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के लिए ऑचलिक परिषदों की सिफारिशों पर किया जाएगा। किसान प्रतिनिधि को पीजीएस-इंडिया लोकल ग्रुप का सम्माननीय सदस्य होना आवश्यक है।

2.2.3.1 भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पीजीएस-एनईसी शीर्ष कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन और निर्णय लेने वाली संस्था होने के कारण निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

a कार्यक्रम कार्यान्वयन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण
b नीतियों का मसौदा तैयार करना, पीजीएस-इंडिया संचालन संरचना में परिवर्तन एवं संशोधन का सुझाव देना, एनएसी के अनुमोदन के लिए मानक।
c राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण, शिक्षा, आउटरीच एवं पर्यवेक्षण गतिविधियों का समन्वय और निगरानी करना।
d पीजीएस-इंडिया सचिवालय को अधिकार और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन
e ऑचलिक एवं क्षेत्रीय परिषदों का चयन और प्राधिकृत करना
f ऑचलिक एवं क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज का पर्यवेक्षण और निगरानी
g दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे या कार्य नहीं कर रहे पाए जाने पर ऑचलिक/क्षेत्रीय परिषदों को प्राधिकृत करने की स्वीकृति/अप्राधिकृत करना ।
h तकनीकी और मूल्यांकन/निगरानी समितियों का गठन और दायित्व सौंपना ।

2.2.3.2 पीजीएस-एनईसी की बैठक

पीजीएस-एनईसी की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी, जिसमें पीजीएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया और प्रगति की समीक्षा की जाएगी और इसकी निगरानी और नई परिषदों को अधिकृत किया जाएगा। पीजीएस-एनईसी की बैठकें अध्यक्ष के विवेक पर और/या कार्यकारी सचिव या कम से कम 25% सदस्यों के अनुरोध पर महत्वपूर्ण मामलों को उठाने के लिए भी बुलाई जा सकती हैं। एक बैठक के लिए न्यूनतम कोरम कुल संख्या का 30% होगा। यदि बैठक बुलाना संभव नहीं है, तो तत्काल मुद्दों को परिचालित करके तय किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में 30 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देने वाले सदस्यों में से कम से कम 30% को निर्णय का समर्थन करना चाहिए।

मंत्रालयों या सरकारी विभागों के सदस्यों के यात्रा व्यय का वहन उनके संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। गैर-सरकारी (गैर-सरकारी ऑचलिक परिषदों के सदस्य, किसान प्रतिनिधि और तकनीकी एवं मूल्यांकन समितियों के सदस्य) का टीए/डीए पीजीएस सचिवालय द्वारा वहन किया जाएगा।

2.2.4 **पीजीएस सचिवालय**

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीजीएस-इंडिया राष्ट्रीय सचिवालय में निदेशक, NCOF के साथ-साथ कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । सचिवालय की मुख्य भूमिका एवं दायित्व निम्नानुसार हैं :-

(a) कार्यक्रम के निष्पादन से संबंधित सभी कार्यकारी और सचिवीय दायित्व, एनएसी एवं एनईसी बैठकें, एनएसी और एनईसी के निर्णयों के कार्यान्वयन, एनईसी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मामले और एनईसी सदस्यों के साथ समन्वय।

(b) सभी तकनीकी और कार्यान्वयन मुद्दों पर एनईसी को परामर्श देना ।

(c) विधिवत गठित मूल्यांकन एवं निगरानी समितियों के मूल्यांकन और निगरानी यात्राओं का समन्वय और सुविधा प्रदान करना, रिपोर्ट का मूल्यांकन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए परिषद को रिपोर्ट/सिफारिशें प्रस्तुत करना।

(d) जोनल और क्षेत्रीय परिषदों के लिए क्षमता निर्माण, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियाँ।

(e) जोनल परिषदों एवं क्षेत्रीय परिषदों की गतिविधियों पर निगरानी और पर्यवेक्षण ।

(f) तत्काल मुद्दों से निपटने के लिए सुधारात्मक/तात्कालिक कार्रवाई करना, परंतु ऐसी सभी कार्रवाई की एनईसी द्वारा जॉच एवं पुष्टि की जाती है । वैकल्पिक रूप से पीजीएस सचिवालय तत्काल एवं आवश्यक मुद्दों पर एनईसी अध्यक्ष की मंजूरी ले सकता है।

(g) वार्षिक पर्यवेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है और एनईसी को प्रस्तुत की जाती है ।

(h) उन मामलों में एनईसी पर प्रतिबंधों और दंड की सिफारिशें जहां कार्यक्रम कार्यान्वयन में गंभीर उल्लंघन पाया जाता है ।

(i) संपूर्ण पीजीएस-इंडिया डेटाबेस, पीजीएस-इंडिया पोर्टल और इसके संचालन का कस्टोडियन।

(j) एनईसी द्वारा प्राधिकृत करने के लिए ज़ोनल परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के लिए आवेदनों की प्राप्ति और उन पर कार्रवाई ।

(k) पीजीएस कार्यक्रम को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय और संपर्क स्थापित करना।

(l) पीजीएस नमूनों के संग्रह सहित अवशेषों के परीक्षण द्वारा पीजीएस उत्पादों का पर्यवेक्षण, अवशेष विश्लेषण के लिए उन नमूनों का परीक्षण कराना।

(m) क्षेत्रीय परिषद के कार्यों और निर्णयों के विरुद्ध तथा क्षेत्रीय परिषद की कार्रवाई के विरुद्ध स्थानीय समूहों के लिए अपीलीय प्राधिकारी का दायित्व ।

(n) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से साहित्य विकास, प्रचार, प्रौद्योगिकी प्रसार और जागरूकता सृजन।

2.2.4.1 पीजीएस-इंडिया सेल

पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के कामकाज को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए, पीजीएस सचिवालय में एक अलग पीजीएस-इंडिया सेल बनाया जाएगा जिसमें पीजीएस-इंडिया वेबसाइट प्रबंधन और संचालन के लिए आईटी विशेषज्ञ, तथा क्षमता निर्माण, समन्वय और सहायता सहित रिपोर्ट विश्लेषण और कार्रवाई एवं संचालन संबंधी सामयिक कार्यान्वयन के लिए तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। अध्यक्ष, एनईसी,

डीएसी एंड एफडब्ल्यू के अनुमोदन से अनुबंध के आधार पर आवश्यक जनशक्ति को काम पर रखा जा सकता है।

2.2.4.2 पीजीएस-इंडिया परिचालन बजट

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के संचालन, वेबसाइट प्रबंधन, गैर-आधिकारिक एनईसी सदस्यों के टीए/डीए और गैर-आधिकारिक मूल्यांकन और निगरानी समिति के सदस्यों के लिए टीए/डीए और मानदेय के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करेगा। इस तरह के बजट को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के बजट के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

2.2.5. आंचलिक परिषद

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के तहत नौ क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र (क्षेत्रीय परिषद ओएफ) क्षेत्रीय परिषदों के रूप में कार्य करेंगे। एनएसी अपने विवेक से बढ़ती मांग को पूरा करने और क्षेत्रीय परिषद की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए आवश्यक क्षमता मूल्यांकन के बाद किसी अन्य सक्षम संगठन को क्षेत्रीय परिषद के रूप में नामित कर सकता है। क्षेत्रीय परिषद की प्रमुख भूमिका एवं दायित्व निम्न रूप में होंगे:

a) क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज की निगरानी।
b) अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी क्षेत्रीय परिषदों पर वार्षिक/त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट तैयार करना और पीजीएस सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
c) स्थानीय समूहों की अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रीय परिषदों को अद्यतन दस्तावेज, नीतियां, साहित्य एवं अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।
d) क्षेत्रीय परिषदों/स्थानीय समूह (स्थानीय समूह) के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियाँ ।
e) पीजीएस सचिवालय के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर की शिक्षा और आउटरीच गतिविधियों का समन्वय।
f) क्षेत्रीय परिषदों के कामकाज और कार्यों के बारे में किसानों और स्थानीय समूहों की शिकायतों का निवारण
g) क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणपत्र अस्वीकार करने या स्थानीय समूहों पर क्षेत्रीय परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की शिकायतों पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ।
h) विशेष समूह के पीजीएस उत्पादों की गुणवत्ता/जैविक ईमानदारी पर व्यापारियों/खुदरा विक्रेताओं/उपभोक्ताओं की शिकायतों पर क्षेत्रीय परिषद द्वारा की गई कार्रवाई या इसकी निष्क्रियता के बारे में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, एवं पीजीएस सचिवालय को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
i) अवशेष परीक्षण के माध्यम से पीजीएस उत्पादों की निगरानी।
j) एनईसी और पीजीएस-इंडिया सचिवालय द्वारा सौंपी गई कोई अन्य गतिविधि का संचालन।

2.2.6. क्षेत्रीय परिषद (आरसी)

क्षेत्रीय परिषद संबंधित अधिनियमों (सोसायटी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम या समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधिनियम) के अन्तर्गत कानूनी रूप से पंजीकृत एजेंसी होती हैं। सरकारी विभागों/एजेंसियों को कानूनी संस्था माना जाता है । आवेदक क्षेत्रीय परिषदों तथा इसके सदस्यों के हितों में आपसी कोई टकराव नहीं होना चाहिए जो जैविक गारंटी कार्यक्रम और/या इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करे ।

2.2.7 स्थानीय समूह (LG)

स्थानीय समूह सहभागिता गारंटी प्रणाली के तहत मुख्य कार्यात्मक और निर्णय का अधिकारप्राप्त निकाय है। यह ऐसे किसानों का एक स्थानीय समूह है, जो एक ही गाँव में रहते हैं या गाँवों के पास रहते हैं और एक दूसरे के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं। समूह में उपभोक्ताओं या खुदरा विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की भागीदारी और इसके कामकाज को प्रोत्साहित किया जाता है जो ईमानदारी और विश्वास को सुदृढ़ करता है।

अध्याय 3

3.1 क्षेत्रीय परिषदों (RC) के लिए पात्रता मानदंड एवं कार्यात्मक आवश्यकताएं

क्षेत्रीय परिषद की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड

a. आवेदक एजेंसी समय-समय पर लागू राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत एजेंसी होगी । सरकारी विभागों/एजेंसियों को कानूनी संस्था माना जाएगा ।

b. आवेदक एजेंसी और उसके कर्मियों के बीच किसी प्रकार का हितों में टकराव नहीं होना चाहिए, जो, कृषि/प्राकृतिक खेती के लिए सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत परियोजना प्रबंधन, कृषि आदानों के उत्पादन और विपणन या कृषि उपज के साथ-साथ, जैविक गारंटी कार्यक्रम में रुकावट उत्पन्न कर सके या इसे प्रभावित कर सके । परंतु, मुनाफा न लेने वाले सिविल सोसाइटी संगठन जो जैविक किसानों को जुटाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें इस प्रावधान से छूट मिलेगी, बशर्ते ऐसे संगठन किसी भी सरकारी योजना के तहत जैविक परियोजना प्रबंधन नहीं कर रहे हों।

c. ऐसी एजेंसियॉ या इनके प्रमोटर/निदेशक जो किसी भी अन्य प्रकार का व्यवसायिक कार्य करते हैं जिससे जैविक गारंटी प्रणाली के साथ हितों के टकराव की संभावना हो, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

d. आवेदक एजेंसी या उसके अधिकांश कार्मिकों को न्यूनतम दो वर्ष का जैविक प्रबंधन प्रथाओं और प्रमाणन व्यवस्थाओं से संबंधित अनुभव होना चाहिए ।

e. कार्मिकों को जैविक गारंटी/सर्टिफिकेशन सिस्टम का प्रमाणित ज्ञान एवं अनुभव और/या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन/ICS प्रबंधन/सहभागिता गारंटी प्रणाली से जुड़े होने का न्यूनतम 2 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए।

f. आवेदन एजेंसी का अपना कार्यालय एवं अपने कर्मचारी होने चाहिए ।

g. पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ डिजिटल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ।

h. उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा (पढ़ने, लिखने और बोलने) से कम से कम एक सदस्य अच्छी तरह से अवगत हो और बातचीत कर सके ।

i. न्यूनतम जनशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक अनुभवी पीजीएस सिस्टम फैसिलिटेटर और एक पीजीएस ऑडिटर-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए । इसमें जारी प्रमाणन के अन्तर्गत समूहों की संख्या में वृद्धि के साथ आनुपातिक बढ़ोतरी होनी चाहिए।

j. आवेदनकर्ता क्षेत्रीय परिषद को गुणवत्ता और प्रचालन मैनुअल द्वारा प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रारूपित करना होगा, जिसमें समान कार्यप्रणाली, मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया संबंधी प्रारूप और चेकलिस्ट शामिल हैं।

k. क्षेत्रीय परिषद के रूप में कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन हों।

क्षेत्रीय परिषद के लिए पात्रता संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताएं, जो ऑफ-फार्म प्रसंस्करण एवं प्रमाणन का कार्य करती हैं-

l. "खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग" के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त **तृतीय पक्ष प्रमाणन निकाय,** जिन्होंने इस तरह के प्रचालन के लिए नीति, प्रक्रियाएं एवं चेकलिस्ट बनाई है, योग्यता मूल्यांकन की आवश्यकता के बिना पीजीएस सचिवालय में आवेदन करने पर उन्हें प्राधिकृत करने पर विचार किया जा सकता है।

m. खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग संबंधी जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं में सक्षम और अनुभव प्राप्त ऐसी क्षेत्रीय परिषद, जिनके पास ऐसे संचालन के लिए प्रशिक्षित मैन-पॉवर है, तथा पीजीएस सचिवालय द्वारा इस तरह के संचालन के लिए आवश्यक क्षमता मूल्यांकन के बाद, नीति, प्रक्रियाओं व चेकलिस्ट का निर्माण किया हो ।

3.2 क्षेत्रीय परिषद के रूप में प्राधिकृत करने के लिए आवेदन

आवेदक एजेंसियों को आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पीजीएस-इंडिया पोर्टल पर उपलब्ध है:

a. इसकी कानूनी स्थिति को दर्शाते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति । सरकारी एजेंसियों को क्षेत्रीय परिषद के रूप में आवेदन को प्राधिकृत करने संबंधी सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक आदेश प्रस्तुत करना होगा

b. गुणवत्ता मैनुअल और ऑपरेटिंग मैनुअल की प्रति ।

c. आवश्यक चेक-लिस्ट एवं प्रारूपों सहित पीजीएस-इंडिया गारंटी कार्यक्रम के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं की प्रति ।

d. इसकी क्षमता संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र

e. उनके बायोडाटा एवं आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण रिकॉर्ड सहित स्टाफ-सदस्यों की सूची ।

f. एजेंसी एवं एकल व्यक्तियों द्वारा हितों के टकराव, स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता संबंधी घोषणा ।

g. वित्तीय सक्षमता संबंधी वित्तीय बैलेंस-शीट

h. एनईसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवेदन शुल्क संबंधी डिमांड ड्राफ्ट । आवेदन शुल्क नॉन-रिफंडेबल है।

i. पीजीएस-इंडिया पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा करें और हार्ड कॉपी पीजीएस-इंडिया सचिवालय को भेजें ।

j. (ए) फार्म प्रमाणीकरण (समूह एवं व्यक्ति), (बी) खाद्य प्रसंस्करण एवं हैंडलिंग तथा (सी) बड़े पारंपरिक /डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए, अलग-अलग आवेदन जमा किए जाएंगे

3.3 क्षेत्रीय परिषद को प्राधिकृत करना

a. पीजीएस-इंडिया सचिवालय आवेदन की जॉच के लिए 60 दिनों के भीतर स्क्रीन करेगा और यदि कोई कमी पाई जाती है तो अतिरिक्त जानकारी मांगें।

b. अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों के साथ लिखित रूप में सूचना दी जाएगी।

c. यदि कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है**,** तो आवेदक एजेंसी 30 दिनों की अवधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। ऐसा न करने पर**,** आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

d. ऐसे मामलों में जहां आवेदन सभी तरह से पूर्ण पाया जाता है और एजेंसी सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो पीजीएस सचिवालय द्वारा विधिवत गठित मूल्यांकन टीम द्वारा एजेंसी का क्षमता मूल्यांकन किया जाएगा।

e. सक्षमता मूल्यांकन में आवेदक एजेंसी के परिसर का प्रत्यक्ष निरीक्षण, दस्तावेज़ ऑडिट, न्यूनतम बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की आवश्यकता तथा सक्षमता मूल्यांकन के लिए साक्ष्य ऑडिट शामिल है।

f. गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, के बारे में सूचित किया जाएगा और एजेंसी को 30 दिनों के भीतर आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

g. पीजीएस सचिवालय की सिफारिशों पर, एनईसी द्वारा प्राधिकृत किए जाने के मामले पर निर्णय लिया जाएगा ।

h. क्षेत्रीय परिषद को तीन साल की अवधि के लिए अधिकृत किया जाएगा।

I मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति/ऑचलिक परिषद या पीजीएस सचिवालय द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार क्षेत्रीय परिषद का पर्यवेक्षण और लेखा परीक्षा (अघोषित या घोषित) किया जाएगा ।

j. प्राधिकरण के बाद, क्षेत्रीय परिषद को प्राधिकृत किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कम से कम 100 किसानों वाले कम से कम 10 पीजीएस समूहों को पंजीकृत करना होगा, और पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर नियमित प्रमाणीकरण गतिविधियों का प्रदर्शन करना होगा।

k. आवश्यक संख्या में समूहों/किसानों/ऑपरेटरों के पंजीकरण न हो सकने पर और 6 महीने के लिए पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को निलंबित कर दिया जाएगा तथा 12 महीने तक निष्क्रिय रहने पर प्राधिकरण रद्द कर दिया जाएगा।

l. तीन साल से आगे की अवधि के लिए प्राधिकरण का नवीनीकरण वैधता समाप्ति तिथि से कम से कम 90 दिन पहले क्षेत्रीय परिषद द्वारा नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। पीजीएस सचिवालय आवश्यक मूल्यांकन के बाद पिछले 3 वर्षों की पर्यवेक्षण रिपोर्ट, कामकाज के समग्र प्रदर्शन और प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए एनईसी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों/दंड के साथ एनईसी को अपनी सिफारिश भेजेगा।

m. स्थानीय समूहों और एकल उत्पादकों के पंजीकरण और प्रमाणीकरण के लिए अलग-अलग आवेदनों पर (ए) तीन अलग-अलग प्राधिकरण दिए जाएंगे और (बी) स्थानीय समूहों से दूर प्रसंस्करण और हैंडलिंग संस्थाओं के लिए पंजीकरण और प्रमाणीकरण और (सी) बड़े पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्र के लिए प्रमाणीकरण।

3.4 **क्षेत्रीय परिषद की भूमिका एवं दायित्व**

a. स्थानीय भाषा में मांग करने पर स्थानीय समूह एवं जनता के सदस्यों को मानकों**,** परिचालन दस्तावेजों तथा साहित्य आदि की प्रति प्रदान करें

b**.** दस्तावेज़ जमा करने पर स्थानीय समूहों को ऑनलाइन पंजीकरण प्रदान करें।

c. पीजीएस वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने में स्थानीय समूहों का क्षमता निर्माण। यदि स्थानीय समूहों के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा न हो या वे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं**,** तो क्षेत्रीय परिषद डेटा अपलोड करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सेवाओं पर स्थानीय समूह और क्षेत्रीय परिषद के बीच सहमति होनी चाहिए।

d. प्रक्रियाओं एवं प्रलेखन में मौजूदा और नए स्थानीय समूहों को प्रशिक्षण तथा सहायता ।

e. स्थानीय समूह के आवेदनों की स्क्रीनिंग**,** व जांच की जॉच की जाएगी 1 कोई कमी होने पर सूचित करें ।

f. स्थानीय समूहों का अनुमोदन किया जाएगा ।

g. स्थानीय समूह द्वारा पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समूहों के कामकाज पर ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी ।

h. इसके साथ पंजीकृत स्थानीय समूहों का अगले एक वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण/मूल्यांकन। प्रत्येक समूह का बाद के दो वर्षों में कम से कम एक प्रत्यक्ष निरीक्षण/मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम 50% स्थानीय समूहों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाएगा।

i. पीजीएस वेबसाइट पर ऑपरेटरों द्वारा अपलोड किए गए सहकर्मी मूल्यांकन, स्थानीय समूह की सारांश शीट/ निरीक्षण रिपोर्ट के सारांश का मूल्यांकन, आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना, और यदि आवश्यक हो तो, मूल्यांकन और निरीक्षण के आधार पर पीजीएस-इंडिया पोर्टल से स्कोप प्रमाण पत्र जारी करना।

j. अलग-अलग उत्पादकों (जो किसी भी पीजीएस-इंडिया समूह से जुड़े नहीं हैं) और स्टैंड-अलोन प्रोसेसिंग और हैंडलिंग इकाइयों के मामले में, क्षेत्रीय परिषद वार्षिक निरीक्षण/पर्यवेक्षण करेंगी और प्रत्यक्ष निरीक्षण के बाद ही स्कोप सर्टिफिकेट जारी करेंगी तथा कोई गैर-अनुपालन का मामला लंबित न हों।

k. स्थानीय समूह के कामकाज के बारे में जनता से प्राप्त शिकायतों, टिप्पणियों या फीडबैक पर कार्य करने के लिए और किसी भी उपभोक्ता शिकायतों के बारे में एफएसएसएआई जैसे वैधानिक निकायों से संचार का जवाब देना।

l. कोई अन्य भूमिका जिसके बारे में पीजीएस-सचिवालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किया गया हो।

अध्याय 4

स्थानीय समूहों, अलग-अलग उत्पादकों और प्रोसेसर/हैंडलर के लिए पात्रता मानदंड और कार्यात्मक आवश्यकताएं

4.1 स्थानीय समूहों के लिए आवश्यकता और पात्रता मानदंड

a. एक स्थानीय समूह में कम से कम 5 सदस्य एक ही गांव या साथ के क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित होने चाहिए। क्षेत्रीय परिषदें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रति समूह अधिकतम किसानों की संख्या तय कर सकती हैं।

b. महिला किसानों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

c. समूह के कम से कम कुछ (25%) सदस्य पीजीएस जैविक गारंटी प्रणाली या प्रमाणन प्रणाली और जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों (एनपीओपी) से अच्छी तरह जानकारी रखते होंगे या क्षेत्रीय परिषदों, क्षेत्रीय परिषद द्वारा आयोजित पीजीएस गारंटी प्रणाली पर प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा या पीजीएस सचिवालय या अन्य कार्यात्मक पीजीएस समूह की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं।

d. समूह के सभी सदस्यों ने समूह की विशिष्ट दृष्टि, भागीदारी दृष्टिकोण और सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करने के लिए पीजीएस प्रतिज्ञा और समूह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

e. हालांकि, किसी एक किसान की जोत के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में, एकल सदस्य की जोत समूह के तहत कुल भूमि के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

f. पीजीएस जैविक गारंटी प्रणाली के तहत आम तौर पर समानांतर उत्पादन और आंशिक रूपांतरण की अनुमति नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि समूह के सभी सदस्यों को पीजीएस मानकों के अनुसार अपने पूरे खेत व पशुधन को जैविक प्रबंधन के अन्तर्गत लाना होगा। हालांकि, कुछ मामलों में क्षेत्रीय परिषदें छूट दे सकती हैं और चरणों में रूपांतरण की अनुमति भी दे सकती हैं।

g. पीजीएस दस्तावेजों तक पहुंच हो और कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच हो (वैकल्पिक)

h. संबंधित क्षेत्रीय परिषद के साथ पंजीकृत और पीजीएस वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त किया है।

i. यदि किसान समूह डेटा अप लोडिंग की ऑनलाइन प्रणाली संचालित करने में असमर्थ है तो क्षेत्रीय परिषद या किसी अन्य सुविधा एजेंसी या स्थानीय एनजीओ या सेवा प्रदाताओं आदि से सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

j. यदि कोई किसान या 5 से कम सदस्यों वाले किसानों के समूह को मौजूदा स्थानीय समूह में शामिल होने का प्रस्ताव है, जैसा कि क्षेत्रीय परिषद द्वारा सलाह दी गई हो, तो उन किसानों को स्थानीय समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

k. स्थानीय समूह को केवल एक बार पंजीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पीजीएस-इंडिया में नवीनीकरण की कोई अवधारणा नहीं है, जब तक कि स्थानीय समूह प्रमाणन गतिविधियों को जारी रखता है, पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर सीजन-टू-सीजन आधार पर सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड करता है। दो सत्रों या 12 महीनों के लिए लगातार सहकर्मी मूल्यांकन सारांश पत्र प्रस्तुत न करने पर समूह को निलंबित कर दिया जाएगा। ऐसे समूह की प्रमाणीकरण प्रक्रिया की दोबारा

शुरूआत नए समकक्ष मूल्यांकन प्रस्तुत करने की तारीख से होगी और नई प्रमाणन प्रक्रिया पीजीएस-ग्रीन-1 स्थिति से शुरू की जाएगी ।

4.2 स्थानीय समूह की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

a. समूह में किसानों को संगठित करें और प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से पीजीएस जैविक प्रतिज्ञा और समूह समझौते पर हस्ताक्षर करें।

b. सभी सदस्यों को पीजीएस मानकों, परिचालन मैनुअल और मूल्यांकन प्रपत्रों की प्रतियां स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराएं। यदि किसान निरक्षर हैं तो उन्हें मौखिक रूप से और चित्रात्मक अभ्यावेदन द्वारा विवरण और मानकों की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

c. खेत के इतिहास के साथ आवश्यक फील्ड दस्तावेज तैयार करें। प्रत्येक समूह ऐसे दस्तावेज़ों को एक समूह फ़ाइल में बनाए रखेगा जिसमें आवेदन पत्र, हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा, हस्ताक्षरित समझौता, प्रत्येक सदस्य के संबंध में जीपीएस निर्देशांक के साथ स्थानों को दर्शाने वाले खेत के नक्शे और इनपुट उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं पर पिछले एक वर्ष का लेखा-जोखा शामिल होगा।

d. समूह के नेता और सहकर्मी समीक्षकों की कोर टीम चुनें (कम से कम 5 सदस्यों के समूह में 3)। कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह एक इष्टतम स्थिति होगी यदि समूह के सभी सदस्य साथियों की समीक्षा में भाग लेंगे, क्योंकि यह किसानों के बीच क्षमता निर्माण और सूचना के आदान-प्रदान में योगदान देता है, और हितों के टकराव को कम करता है।

e. पीजीएस समूह के कामकाज को समझने के लिए किसी अन्य पंजीकृत पीजीएस समूह की गतिविधियों में भाग लें।

f. समूह के सभी सदस्यों के फार्मों पर मानक आवश्यकताओं को लागू करें और अन्य पंजीकृत समूह से सहायता प्राप्त करें। पंजीकरण के समय यह अनुमोदन केवल एक बार आवश्यक है।

g. पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर समूह पंजीकृत करें और क्षेत्रीय परिषद से पंजीकरण अनुमोदन प्राप्त करें।

h. अनुमोदन के लिए पास के पीजीएस समूह से संपर्क करें ।

i. यदि कोई पीजीएस पंजीकृत समूह अनुमोदन के लिए आसपास के क्षेत्र में नहीं है तो राज्य एजेंसियों (राज्य कृषि विभाग जिला अधिकारी) से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आवश्यकता को सत्यापित करें और क्षेत्रीय परिषद को आवश्यक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अन्यथा क्षेत्रीय परिषद से सत्यापन करने और पंजीकरण अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध करें। क्षेत्रीय परिषद द्वारा मान्यता के लिए स्थानीय समूहों के सत्यापन और समर्थन के लिए क्षेत्रीय परिषद ओएफ से भी अनुरोध किया जा सकता है। क्षेत्रीय परिषद प्रत्यक्ष सत्यापन/निरीक्षण के बाद ही समूहों का अनुमोदन कर सकते हैं।

j. कुछ सरकारी कार्यक्रम (जैसे पीकेवीवाई) के तहत गठित समूहों के मामले में, समूह का अनुमोदन राज्य सरकार के कार्यान्वयन विभाग के अधिकृत जिला अधिकारी/योजना प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

k. समय-समय पर बैठकें आयोजित करें और उपस्थिति पंजी का रखरखाव करें। इन बैठकों में सदस्यों की भागीदारी एक अनिवार्य गतिविधि है और समूह की गारंटी योजना के लिए सदस्य के समर्पण को दर्शाती है। वर्ष में कम से कम 2-4 बार (बारहमासी फसल समूह के लिए 2 और वार्षिक फसल समूह के लिए वर्ष में 4 बार) वर्ष के प्रमुख समय पर मौसम, फसलों आदि के आधार पर अनिवार्य बैठकें होनी चाहिए। साथियों के लिए एक/दो मूल्यांकन योजना और निर्णय लेने के लिए एक/दो बैठकें होनी चाहिए।

l. प्रत्येक सदस्य को एक वर्ष में कम से कम 50% बैठकों में भाग लेने और उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा ।

m. पूरे समूह की क्षमता में सुधार करने के लिए एक दूसरे को सलाह दें और जानकारी साझा करें।

n. अन्य समूहों, क्षेत्रीय परिषद सदस्यों या अन्य राज्य सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों से जैविक किसानों को आमंत्रित करके नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करें।

o. सहकर्मी मूल्यांकन रणनीति तैयार करें और प्रत्येक खेत का वर्ष में कम से कम दो बार समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित करें। सहकर्मी समीक्षक सहकर्मी समीक्षा मूल्यांकन फॉर्म को पूरा करना, हस्ताक्षर करना और समूह के नेता को जमा करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक किसान का कम से कम दो सदस्यीय टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। उपभोक्ता के प्रतिनिधि को शामिल करने से विश्वसनीयता और विश्वास बढ़ेगा ।

p. सहकर्मी समीक्षक के खेतों का निरीक्षण किसी अन्य सहकर्मी समीक्षक समूह द्वारा किया जाना है। विश्वसनीयता और विश्वास बढ़ाने के लिए समूह में कई सहकर्मी समीक्षक हो सकते हैं।

q. भविष्य में पर्यवेक्षण गतिविधि के लिए प्रत्येक समूह के सदस्य के संबंध में सभी सहकर्मी मूल्यांकन पत्रक हार्ड कॉपी में या स्थानीय समूह द्वारा डिजिटल रूप से बनाए रखना होगा । इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के दौरान मांग करने पर क्षेत्रीय परिषद या वैधानिक प्राधिकरण को प्रदान किया जाएगा ।

r. उपयुक्त समय पर समूह द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि किन किसानों को प्रमाणित किया जाना है। प्रमाणीकरण आवश्यकताओं का पालन करने वाले किसानों को अलग करें। गल्ती करने वालों की सूची बनाएं और प्रतिबंध लगाएं।

s. अंतिम निर्णय बैठक आयोजित करें, सभी सदस्यों के समक्ष सहकर्मी मूल्यांकन परिणामों की चर्चा । सामूहिक रूप से समूह को पीजीएस मानकों के अनुरूप घोषित करें (छोटे समूहों के मामले में, अधिकतम 10 सदस्य)। यदि समूह बड़ा है तो 5 या अधिक सदस्यों वाले एक उप-समूह या प्रमाणन समिति का चुनाव करें, जो परिणामों की समीक्षा कर सके और प्रमाणन पर निर्णय ले सके । केवल नकारात्मक निर्णय (प्रमाणन या प्रमाणीकरण की अस्वीकृति) के मामलों में बहुमत समूह के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। प्रमाणन समिति के निर्णय के विरुद्ध पूर्ण सदस्य निकाय, अपील निकाय के रूप में भी कार्य कर सकता है।

t. फसलों के विवरण और उपज की अपेक्षित मात्रा सहित प्रमाणित घोषित किसानों की सूची के साथ, उपयुक्त समय पर, समकक्ष मूल्यांकन सारांश पत्र तैयार करें।

u. आवश्यक समूह निर्णय के साथ पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर पूरे समूह के लिए सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड करें और डाक द्वारा क्षेत्रीय परिषद को हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी भेजें।

v. क्षेत्रीय परिषद द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित होने पर, क्षेत्रीय परिषद प्रमाण पत्र जारी करेगी।

4.3 एकल उत्पादक की भूमिका और उत्तरदायित्व

ऐसे मामलों में जहां एक अकेला किसान (या 5 से कम किसानों का समूह) पीजीएस-इंडिया प्रमाणन में रुचि रखता है और आसपास के क्षेत्र में कोई समूह नहीं है और कोई अतिरिक्त समुदाय सदस्य समूह बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एकल उत्पादक सीधे पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय परिषद को आवेदन कर सकते हैं ।

a. एक स्थानीय समूह बनाने में उनकी वर्तमान अक्षमता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, प्रतिज्ञा एवं हस्ताक्षरित घोषणा के साथ उपलब्ध क्षेत्रीय परिषद को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

b. पीजीएस-इंडिया समूह के अन्य सदस्यों को फार्म का वास्तविक दौरा करने के बाद आवेदन का अनुमोदन करने के लिए आमंत्रित करें। यदि कोई पीजीएस-इंडिया समूह उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्रीय परिषद से फार्म का साक्ष्यॉकन करने का अनुरोध करें ।

c. पीजीएस-इंडिया परिचालन दिशानिर्देश और मानकों को निकट के समूह या क्षेत्रीय परिषद से प्राप्त करें

d. पीजीएस-इंडिया वेबसाइट के लिए पंजीकरण को मंजूरी देने और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परिषद से अनुरोध करें।

e. आस-पास के समूह के सहकर्मी मूल्यांकन-कर्ताओं से फार्म का वास्तविक निरीक्षण करने और पीयर अप्राइज़ल फॉर्म भरने का अनुरोध करें। भरा हुआ सहकर्मी मूल्यांकन फार्म क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा । यदि कोई समूह पास में नहीं है तो क्षेत्रीय परिषद से प्रत्यक्ष निरीक्षण करने और प्रमाणन प्रदान करने का अनुरोध करें।

f. सिंगल उत्पादक पंजीकरण एक अंतरिम व्यवस्था है और उत्पादक को निश्चित समय (अधिकतम 2 वर्ष) में समूह बनाने और सिंगल स्थिति को समूह की स्थिति में बदलने के लिए ग्राम समुदाय के अन्य सदस्यों को लाने के प्रयास शुरू करने चाहिए। यदि कोई किसान 2 वर्ष बाद भी समूह नहीं बना पाता है तो क्षेत्रीय परिषद किसानों को निकटतम समूह से जोड़ देगी।

4.4 पीजीएस-समूहों से अलग गैर-कृषि प्रसंस्करण और हैंडलिंग इकाइयां/सुविधाएं

पीजीएस प्रमाणित जैविक का संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रसंस्करण और व्यापार हेतु, एक या एक से अधिक पीजीएस समूहों से उत्पादन, पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम में पीजीएस समूहों से अलग स्टैंड-अलोन सुविधाओं के अनुमोदन के लिए विशिष्ट प्रावधान है । चूंकि इस तरह की गतिविधियों में सहभागिता नहीं होती, अनुमोदन प्रणाली अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होती है।

a. "ऑफ-फार्म प्रोसेसिंग और हैंडलिंग के लिए अनुमोदन" हेतु अधिकृत केवल क्षेत्रीय परिषदें ऐसी इकाइयों को पंजीकृत कर सकती हैं और आवश्यक अनुरूपता मूल्यांकन के बाद जैविक प्रसंस्करण के लिए उनकी सुविधाओं को मंजूरी दे सकती हैं।

b. आवेदक प्रसंस्करण और व्यापार इकाई कानूनी रूप से पंजीकृत निकाय होगी जिसमें आवश्यक लाइसेंस और एफएसएसएआई और/या ऐसे अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से अनुमोदन लिया जाएगा जैसा कि भूमि-कानून द्वारा आवश्यक हो ।

c. इच्छित प्रसंस्करण और हैंडलिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा होना चाहिए ।

d. पीजीएस-इंडिया मानकों और प्रमाणन आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह से जागरूक और परिचित और पूरे संचालन के लिए परिचालन मैनुअल, प्रारूप और चेकलिस्ट बनाई हो, प्रक्रिया द्वारा सामग्री की आवाजाही, और कच्चे माल की प्राप्ति से शुरू कर प्रसंस्करण व संचालन, पैकिंग और अंततः गैर-पीजीएस ऑपरेटर या उपभोक्ता को बिक्री तक निर्बाध ऑडिट ट्रेल को बनाए रखने में सक्षम हों ।

e. प्रसंस्करण और संचालन एजेंसियों को क्षेत्रीय परिषद को प्रलेखन, व्यंजनों, कच्चे माल और प्रसंस्कृत उत्पादों की सूची और बिक्री और खरीद रिकॉर्ड तक पूर्ण पहुंच प्रदान करनी होगी। जानकारी उपलब्ध न

कराना, दस्तावेज़ीकरण और सुविधाओं तक वास्तविक पहुँच के न होने के परिणामस्वरूप प्रमाणीकरण से इनकार किया जा सकता है।

f. पीजीएस सचिवालय समय-समय पर ऐसी इकाइयों की निगरानी करेगा ।

4.5 बड़े सन्निहित पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्र को पीजीएस-इंडिया जैविक में बदलने के लिए राज्यों और स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों की भूमिका एवं दायित्व

a. भारत में ऐसे बड़े और निकटवर्ती क्षेत्र हैं जो परंपरागत रूप से/डिफ़ॉल्ट जैविक हैं जिनमें निषिद्ध इनपुट उपयोग करने का कोई इतिहास नहीं है। भौगोलिक अलगाव या कनेक्टिविटी की कमी के कारण ऐसे क्षेत्र पारंपरिक कृषि से दूर रहे हैं। सुरक्षित एवं स्वस्थ जैविक खाद्य की बढ़ती मांग को कम करने के लिए पीजीएस-इंडिया के तहत ऐसे क्षेत्रों को प्रमाणित जैविक में परिवर्तित करके अब इस हानि को लाभ में परिवर्तित किया जा सकता है। राज्यों, संबंधित राज्य विभागों और/या क्षेत्रीय परिषदों को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने होंगे:

a. सत्यापित करें कि कम से कम पिछले 3 वर्षों के दौरान सिंथेटिक इनपुट और जीएमओ उपयोग का कोई इतिहास नहीं है !

b. परिभाषित क्षेत्र में जीएमओ बीज, सिंथेटिक कृषि आदानों के उपयोग, बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रशासनिक प्रतिबंध ।

c. गांवों एवं लैंडमार्क सहित परिभाषित सीमाओं के साथ भू-टैग किए गए मानचित्रों सहित पूरे क्षेत्र का दस्तावेज़ीकरण। कृषि पद्धतियों के विवरण के साथ दस्तावेजीकरण गांव-वार किया जाएगा। एकरूपता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी किसान समान कृषि पद्धतियों का पालन करें। यदि कुछ किसान अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं तो उन्हें अलग से दस्तावेज बनाने की जरूरत है। ऐसा एक बार किया जा सकता है ।

d. सभी किसानों वाले एक गांव को एक समूह के रूप में माना जाएगा। बड़े क्षेत्र प्रमाणीकरण के लिए गांव और बड़े क्षेत्र के सभी कृषक सदस्यों को पीजीएस-इंडिया जैविक मानकों का पालन करना होगा।

e. ग्राम पंचायत/ग्राम परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उत्पादक पीजीएस प्रतिज्ञा लें और प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करें।

f. एक बार जब सभी किसान प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ग्राम पंचायत द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए और ग्राम पंचायत अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर केवल जैविक खेती को अपनाने एवं अनुमति देने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है।

g. अकेले ग्रामवार दस्तावेजों के साथ क्षेत्र को अधिकृत क्षेत्रीय परिषद में पंजीकृत करें। बड़े क्षेत्र के प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत क्षेत्रीय परिषद ऐसे क्षेत्र को पंजीकृत करने एवं प्रमाणन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत होंगी।

h. गाँव के किसानों में से सहकर्मी मूल्यांकन समितियाँ बनाएँ। वार्षिक सहकर्मी मूल्यांकन के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकर्मी मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। पहले सहकर्मी मूल्यांकन को पूरा करें और क्षेत्रीय परिषद में सहकर्मी मूल्यांकन सारांश पत्रक जमा करें।

i. पिछले 3 वर्षों से परिभाषित क्षेत्र जैविक है यह सुनिश्चित करने के लिए पीजीएस-एनईसी द्वारा नियुक्त सत्यापन समिति द्वारा दौरे की सुविधा।

j. दस्तावेजों के सत्यापन, ग्राम समकक्ष मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत समकक्ष मूल्यांकन, एवं रूपांतरण अवधि में कमी पर सत्यापन समिति की रिपोर्ट के सत्यापन के बाद ऑंचलिक परिषद/क्षेत्रीय परिषद, पीजीएस-एनईसी को क्षेत्र को जैविक घोषित करने के लिए अपनी सिफारिश भेज सकती है।

k. पीजीएस-एनईसी पूरी तरह से मूल्यांकन के बाद पूरे क्षेत्र को जैविक घोषित कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में पीजीएस-एनईसी और जेडसी/क्षेत्रीय परिषद के पास पूरे/बड़े निकटवर्ती क्षेत्र को प्रमाणित घोषित करने का निर्णय केवल सिफारिश करने वाली एजेंसियां हैं। ऐसे अनुमोदन पर क्षेत्रीय परिषद किसानों, क्षेत्र और फसलों की पूरी सूची देते हुए ग्रामवार प्रमाण पत्र जारी करेगा। बड़े क्षेत्र में प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र और टीसी पूरे ग्राम समूह को जारी किए जाएंगे, न कि सिंगल किसानों को।

l. जैविक स्थिति को जारी रखने के लिए क्षेत्र के प्रत्येक गांव को वर्ष में कम से कम एक सहकर्मी मूल्यांकन करना होगा । प्रमाणन के विस्तार/नवीकरण के लिए वार्षिक सहकर्मी मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित जेडसी/क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत की जाएगी।

m. इस प्रमाणन कार्यक्रम के तहत सभी किसानों और उनके कृषि कार्यों (पशुधन सहित) को पीजीएस-इंडिया जैविक मानकों का पालन करना होगा। यहां तक कि एक किसान द्वारा एक भी चूक पूरे गांव की जैविक स्थिति को रद्द कर सकती है। एक गांव या कई गांवों में बार-बार चूक के परिणामस्वरूप संपूर्ण भौगोलिक सीमा (जैसे संपूर्ण ब्लॉक) का प्रमाणीकरण रद्द हो सकता है।

n. अलग-अलग किसान एवं समूह के तहत प्रसंस्करण और हैंडलिंग इकाइयां या समूहों से दूर अकेले इकाइयां इस श्रेणी के तहत प्रमाणीकरण के लिए पात्र नहीं होंगी, भले ही वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हों।

अध्याय 5

प्रमाणन प्रक्रिया

5.1 स्थानीय समूह द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

चरण 1

a. कम से कम 5 किसानों का एक समूह बनाएं (एक गांव से संबंधित या निकटवर्ती क्षेत्र वाले गांवों से संबंधित वरीयता दें)।

b. कुछ किसानों के प्रतिबंधित होने या समूह छोड़ने की स्थिति में समूह के स्टेटस में गिरावट से बचने के लिए**,** लगभग 7-10 किसानों का समूह बनाया जाना चाहिए।

कुछ किसानों पर प्रतिबंध होने या कुछ किसानों को छोड़ने के परिणामस्वरूप, यदि सदस्यों की संख्या 5 से कम हो जाती है तो समूह की स्थिति 'समूह' से 'व्यक्ति' में परिवर्तत हो जाएगी। ऐसे सभी मामलों में प्रमाणीकरण क्षेत्रीय परिषद द्वारा निरीक्षण के बाद होगा या उन्हें किसी अन्य निकट के समूह द्वारा समकक्ष निरीक्षण का प्रबंधन करना होगा, या ऐसे किसानों को किसी अन्य करीबी समूह का भाग बनने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत किसान के रूप में प्रमाणन के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा निरीक्षण की अतिरिक्त लागत लग सकती है

c. सभी सदस्यों से पंजीकरण और खेती की पृष्ठभूमि की शीट एकत्र करें।

d. निकटतम क्षेत्रीय परिषद से पीजीएस-इंडिया स्टैंडर्ड और पीजीएस-इंडिया परिचालन दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करें और सभी सदस्यों को वितरित करें। इन दस्तावेजों को पीजीएस-इंडिया की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

e. प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाएं ।

f. सभी सदस्यों को पीजीएस-इंडिया मानकों का अनुपालन करने एवं निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रथाओं में संशोधन करना चाहिए ।

g. पीजीएस-इंडिया मानदंडों (पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर उपलब्ध) के व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर, किसानों द्वारा तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता, सहकर्मी मूल्यांकन पद्धति, और मूल्यांकन किए जाने वाले जॉच बिंदुओं से संबंधित स्थानीय समूह संचालन मैनुअल तैयार करें।

h. सुनिश्चित करें कि जो सदस्य अपनी पूरी भूमि जोत पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम (विभाजित उत्पादन) के तहत नहीं लाएं हैं, वे गैर-जैविक इकाइयों से जैविक इकाइयों को स्पष्ट रूप से अलग बनाए रखें, जिसमें बफर ज़ोन के रूप में अलग किए गए खेत, अलग हैंडलिंग और थ्रैशिंग सुविधाएं व अलग भंडारण आदि शामिल हैं। ऐसे किसानों को जैविक खेती में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी संदूषण नियंत्रण क्षमताओं का प्रदर्शन करने की भी आवश्यकता है।

i. पीजीएस वेबसाइट पर समूह को ऑनलाइन पंजीकृत करें और यूजर आईडी और पासवर्ड उत्पन्न करें।

j. क्षेत्रीय परिषद से पंजीकरण के लिए अनुरोध करें।

चरण 2

a. समूह बैठकों, प्रमुख फील्ड प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने संबंधी पीजीएस दिशानिर्देशों का पालन करें।

b. सुनिश्चित करें कि सभी सदस्य अपनी उत्पादन प्रक्रिया में मानकों का पालन करते हैं ।
c. अन्य सदस्यों के खेतों पर निगरानी रखें और यदि कुछ गैर-अनुपालन देखे जाते हैं तो समूह की बैठकों के दौरान समूह के सदस्यों को सूचित करें ।
d. समय-समय पर समूह बैठकें आयोजित करना तथा आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव करना।
e. क्षेत्रीय परिषद के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समय पर आयोजन सुनिश्चित करना।
f. प्रमुख प्रशिक्षणों और समूह बैठकों के दौरान प्रबंधन के मुद्दों, जैसे, पोषक तत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि में समस्या समाधान के लिए जैविक किसानों और अन्य स्थानीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करें।
g. यदि सदस्य किसान खेत से बाहर के कृषि आदानों का उपयोग कर रहे हैं या उनका उपयोग करने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो उनकी जैविक स्थिति का सत्यापान करें, समूह बैठकों में चर्चा करें और उनके उपयोग का समर्थन या निषेध करें। समूह के अनुमोदन के बिना ऐसे आदानों का उपयोग गैर-अनुपालन के रूप में माना जाएगा।
h. स्थानीय समूह (स्थानीय समूह) द्वारा क्षेत्रीय परिषद/ऑंचलिक परिषद या पीजीएस सचिवालय द्वारा सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा :
   i. पिछले एक वर्ष की कृषि पृष्ठभूमि सहित प्रत्येक सदस्य का आवेदन पत्र ।
   ii. प्रत्येक सदस्य की पीजीएस-इंडिया प्रतिज्ञा की प्रति ।
   iii. क्षेत्रीय परिषद के साथ समझौते की प्रति ।
   iv. क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण तक पिछले चार सत्रों (24 महीने) से संबंधित एकल सहकर्मी मूल्यांकन पत्रक की प्रति ।
   v. समूह बैठकों के लिए उपस्थिति और कार्यवाही रजिस्टर ।
   vi. प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति रजिस्टर ।
   vii. सहकर्मी मूल्यांकन सारांश पत्र की प्रति (सीजन-वार, जैसाकि क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत किया गया हो)

चरण 3

a. सहकर्मी मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करें और सहकर्मी मूल्यांकन समूहों का गठन करें। प्रत्येक समूह में कम से कम 3 समकक्ष मूल्यांकनकर्ता होने चाहिए। किसानों की संख्या के आधार पर तीन या अधिक सदस्यों वाली कोई भी मूल्यांकन टीम हो सकती है। मूल्यांकन टीम में कम से कम एक सदस्य साक्षर होना चाहिए और मूल्यांकन प्रपत्र भरने में पारंगत होना चाहिए।
b. दो सदस्य समूह फार्मों के बीच पारस्परिक समीक्षा की अनुमति नहीं होगी (यानी ए समीक्षा बी की समीक्षा और बी, ए की समीक्षा नहीं करेगा)।
c. अन्य समूह के सहकर्मी समीक्षकों या उपभोक्ताओं/व्यापारियों के प्रतिनिधियों या स्थानीय राज्य कृषि विभाग के अधिकारी को सहकर्मी समूह के आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करें (लेकिन उनकी भागीदारी अनिवार्य नहीं है)। इससे समूह गारंटी के बारे में भरोसा और विश्वसनीयता बढ़ सकती है, और पारदर्शिता बनी रह सकती है।
d. प्रत्येक मौसम में कम से कम एक बार सभी खेतों की सहकर्मी समीक्षा पूरी करें। सुनिश्चित करें कि सभी खेतों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा की गई है।
e. बैठकों में समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा करें और एक-एक करके प्रत्येक खेत की जैविक स्थिति पर निर्णय लें।
f. सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसानों को अलग करें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उन पर विचार करें
g. गैर-अनुपालन करने वाले किसानों के बारे में चर्चा करें और गैर-अनुपालन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर प्रतिबंध जारी करें।

h. प्रमाणन से इनकार या समूह से सदस्य के बहिष्कार का पूरे समूह द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए और चूककर्ता सदस्य को सूचित किया जाना चाहिए ।

चरण 4

a. मूल्यांकन संबंधी पूरी कागजी कार्रवाई की जाँच की जाए और एक स्थानीय समूह सारांश वर्कशीट तैयार की जाए ।

b. समूह या प्रमाणन समिति प्रमाणन पर निर्णय ले और समूह के प्रत्येक सदस्य की प्रमाणन स्थिति की घोषणा करे ।

c. पीजीएस-इंडिया वेबसाइट में सभी विवरण ऑनलाइन दर्ज करें और मूल्यांकन सारांश वर्कशीट की हस्ताक्षरित प्रति क्षेत्रीय परिषद को भेजें। अन्यथा, पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए क्षेत्रीय परिषद को सारांश शीट की हस्ताक्षरित प्रति सहित हार्ड कॉपी में सभी विवरण भेजें।

d. क्षेत्रीय परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने पर, समूह के नेता द्वारा ऑनलाइन स्कोप प्रमाण पत्र तैयार किया जा सकता है और समूह के सदस्यों को उनके हस्ताक्षर के बाद वितरित किया जा सकता है।

केवल वे किसान जिन्होंने बिना किसी बड़े या गंभीर गैर-अनुपालन के पूर्ण रूपांतरण अवधि पूरी कर ली है, उन्हें "पीजीएस-ऑर्गेनिक" घोषित किया जाएगा। जिन किसानों ने एक या अधिक प्रमुख गैर-अनुपालन किया है या वे रूपांतरण अवधि के अंतर्गत हैं, उन्हें "पीजीएस-ग्रीन" घोषित किया जाएगा। कोई भी सदस्य वार्षिक फसलों के मामले में 3 वर्ष से अधिक और रोपण/स्थायी फसलों के मामले में 4 वर्ष से अधिक पीजीएस-ग्रीन स्थिति का लाभ नहीं उठा सकता है। ऐसे मामलों में जहां 3 या 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद कोई सदस्य पीजीएस-ऑर्गेनिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ है, उस सदस्य को समूह से बाहर कर दिया जाएगा।

किसी बड़े गैर-अनुपालन के मामले में, निषिद्ध पदार्थों के उपयोग को छोड़कर, पीजीएस-ऑर्गेनिक की स्थिति को एक या दो सीज़न के लिए पीजीएस-ग्रीन में डाउनग्रेड किया जा सकता है। निरंतर चूक करने पर सदस्य को समूह से बाहर रखा जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, हार्मोन आदि जैसे निषिद्ध पदार्थों के उपयोग के सभी मामलों को **गंभीर गैर-अनुपालन** के रूप में माना जाएगा और ऐसे सदस्यों की प्रमाणन स्थिति जीरो अवधि में डाउनग्रेड की जाएगी और उन्हें या तो बाहर रखा जाना चाहिए या नए सदस्य के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और पूर्ण रूपांतरण अवधि से गुजरना चाहिए।

क्षेत्रीय परिषद द्वारा समूह के पंजीकरण अनुमोदन के बाद बोई गई फसल ही **"पीजीएस-ग्रीन"** के योग्य होगी।
क्षेत्रीय परिषद द्वारा पंजीकरण अनुमोदन की तारीख से पहले के फसल मौसम के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख गैर-अनुपालन के रूप में माना जाएगा और ऐसे सभी मामलों में समूह की प्रमाणीकरण स्थिति को **पंजीकरण** के निचले स्तर पर डाउनग्रेड किया जाएगा।

e. सहकर्मी मूल्यांकन के दौरान अनुमोदित अनुमानित पैदावार के साथ स्कोप प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे ।

f. फसलों की कटाई पर, समूह को वास्तविक उपज अपलोड करना होगा । लेन-देन प्रमाण पत्र (टीसी) प्राप्त करने के लिए वास्तविक उपज को अपलोड करना आवश्यक है।

j. क्षेत्रीय परिषद द्वारा उपज के अनुमोदन के पश्चात, समूह अपनी उपज को पीजीएस प्रमाणित उत्पाद के रूप में बेच सकता है और लेन-देन प्रमाणपत्र ऑनलाइन उत्पन्न कर सकता है। प्रत्येक किसान सदस्य के लिए अलग से टीसी जारी की जा सकती है।
k. पीजीएस प्रमाणित उत्पादों को लोगो(LOGO) के उपयोग के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पीजीएस-इंडिया लोगो (LOGO) के साथ बिक्री किया जा सकता है।

चरण 5

a. यदि क्षेत्रीय परिषद वापसी के कारणों सहित निर्णय लौटाता है, तो स्थानीय समूह द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने और 15 दिनों में संशोधित निर्णय को फिर से जमा करने की आवश्यकता होगी ।
b. क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाण पत्र अस्वीकार करने के मामले में, यदि स्थानीय समूह संतुष्ट नहीं हैं तो निर्णय समीक्षा के लिए पीजीएस सचिवालय की सूचना के साथ अपनी संबंधित क्षेत्रीय परिषद में अपील कर सकते हैं।

5.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

चरण 1

a. स्थानीय समूहों के पंजीकरण आवेदन (ऑनलाइन या ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में) प्राप्त करें। खेतों की जियो-टैगिंग और मोबाइल नंबर सहित व्यक्तिगत किसान का विवरण देखें। केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा अन्य समूह की सिफारिश या समर्थन के लिए जाँच करें।
b. पर्याप्त पाए जाने पर पंजीकरण को ऑनलाइन स्वीकृति दें।
c. यदि डेटा और आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं तो पंजीकरण को ऑनलाइन स्वीकृति दें और पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करें।
d. यदि आवेदन हार्ड कॉपी या ऑफलाइन है तो वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें और यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ पंजीकरण प्रदान करें।
e. स्थानीय भाषा में पीजीएस मानकों एवं स्थानीय समूह परिचालन मैनुअल दिशानिर्देशों की प्रति प्रदान करें।

चरण 2

a. समय-समय पर समूह के साथ बातचीत करते रहें और प्रमाणन प्रक्रिया को समझने में उनकी मदद करें। यदि संभव हो तो समूह की कुछ बैठकों या समूह के प्रमुख खेत प्रशिक्षणों में भाग लें।
b. ऑनलाइन डेटा प्रबंधन के लिए समूह की क्षमता को प्रोत्साहित करना और उसका निर्माण करना (इंटरनेट कैफे के माध्यम से हो सकता है)
f. मानकों के कार्यान्वयन और स्थानीय समूह की क्षमता के आकलन के लिए समूहों पर यादृच्छिक पर्यवेक्षण करना ।
g. इसके तहत पंजीकृत कम से कम 50% समूहों का हर साल उपयुक्त रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रत्येक समूह को दो वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए
h. स्थानीय समूह और उनके कामकाज के खिलाफ शिकायतों की प्राप्ति एवं उनका निवारण करना ।

चरण 3

a. संपूर्ण डेटा सेट और स्थानीय समूह सहकर्मी मूल्यांकन सारांश पत्र प्राप्त होने पर, पूर्णता के लिए विवरण की जॉच करें, और सुनिश्चित करें कि पीजीएस मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है।

b. सहकर्मी मूल्यांकन सारांश निष्कर्षों की तुलना क्षेत्रीय परिषद की स्वयं की प्रत्यक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट से करें, पिछले गैर-अनुपालन, शिकायतों और जांच निष्कर्षों पर विचार करें, यदि कोई हो।

c. पीजीएस मानकों और मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर, प्रमाणन प्रदान करने और प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति दें।

d. क्षेत्रीय परिषद को स्थानीय समूह के प्रमाणन निर्णय का अनुमोदन करना चाहिए, यदि आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और क्षेत्रीय परिषद के प्रत्यक्ष सत्यापन, शिकायतों, प्रतिकूल अवशेष परीक्षण रिपोर्ट या प्रतिकूल पर्यवेक्षण रिपोर्ट आदि में कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं हैं। निर्णय के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित जांच बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा:-

   I. आवश्यक LG बैठकें हो चुकी हैं और सदस्य उपस्थित हैं।

   ii. प्रमुख प्रशिक्षण आयोजित किया गया और सदस्य उपस्थित रहे ।

   iii. सारांश पत्रक पूर्ण है और प्रमाणन प्रक्रिया की पूरी जानकारी उसमें मौजूद है ।

   iv. इस अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें, यदि कोई हों तो ।

   v. क्षेत्रीय परिषद की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ।

   vi. गैर-अनुपालन और सलाहकार कार्यान्वयन का पिछला रिकॉर्ड, और

   vii. अवशेष परीक्षण का परिणाम (यदि कोई हो तो)

e. गैर-अनुमोदन के मामले में, कारणों को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से औचित्य सहित सूचित किया जाना चाहिए।

f. क्षेत्रीय परिषद के पास अकेले किसानों को चुनने का अधिकार नहीं है। वे समूह के निर्णय को या तो स्वीकृति देंगी या अस्वीकृत करेंगी ।

g. क्षेत्रीय परिषद अपने विवेक पर प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन के मामले में स्थानीय समूह के निर्णय को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकती है और स्थानीय समूह को गैर-अनुपालनात्मक कार्य को ठीक करने और बंद करने के बाद सारांश पत्र को फिर से जमा करने के लिए कह सकती है।

h. क्षेत्रीय परिषद को स्थानीय समूह-सारांश शीट अपलोड करने या क्षेत्रीय परिषद को समूह निर्णय की हार्ड कॉपी जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रमाणन अनुरोध पर निर्णय लेना होगा । यदि क्षेत्रीय परिषद स्थानीय समूह के निर्णय का अनुमोदन करने में विफल रहती है या अन्यथा, तो 30 दिनों के भीतर समूह का निर्णय पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर स्वतः स्वीकृत हो जाएगा, और गैर-अनुपालन क्षेत्रीय परिषद के साथ दर्शाया जाएगा ।

i. समूह को फसल के नाम के साथ स्कोप प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और प्रत्येक किसान के लिए सहकर्मी मूल्यांकित मौसम के क्षेत्र के विवरण अलग से अनुलग्नक में जारी किए जाएंगे। एक विशेष मौसम से संबंधित फसलों एवं खेत के विवरण के साथ मौसम-वार स्कोप प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे ।

j. कटाई के बाद स्थानीय समूह वास्तविक उपज को अपलोड करेगा । क्षेत्रीय परिषद अपलोड की गई वास्तविक उपज को ऑनलाइन सत्यापित कर सकती है और यदि संतुष्ट हो तो बिक्री और टीसी जारी करने के लिए लॉट नंबर और पैकेजिंग/बल्क आदि सहित स्वयं द्वारा खपत को घटाकर मंजूरी दे सकती है।

k. क्षेत्रीय परिषद द्वारा उपज की मंजूरी पर, प्रत्येक किसान सदस्य के लिए अलग-अलग टीसी ऑनलाइन तैयार की जा सकती है। अकेले सदस्य की पूरी उपज के लिए एक बार में या कई अवसरों पर छोटे लॉट में टीसी जारी किए जा सकते हैं।

l. क्षेत्रीय परिषद को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमाणित जैविक उत्पाद लेनदेन प्रमाणपत्र पर दिए गए यूआईडी कोड के साथ बेचे जाते हैं।

m. यदि दो पीजीएस-इंडिया पंजीकृत ऑपरेटरों के बीच बिक्री हो रही है तो पेपर टीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन टीसी विक्रेता ऑपरेटर से खरीदार ऑपरेटर को स्टॉक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

ध्यान दें कि क्षेत्रीय परिषद दी गई जानकारी के आधार पर विशिष्ट किसानों को शामिल करने या शामिल नहीं करने का निर्णय ***नहीं*** लेती है। वे संपूर्ण रूप से स्थानीय समूह के प्रमाणीकरण को केवल स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती हैं।

उदाहरणार्थ, यदि क्षेत्रीय परिषद को किसान X के बारे में शंका है (उदाहरण के लिए, एक अचानक कीटनाशक अवशेष परीक्षण परिणाम के कारण) लेकिन स्थानीय समूह उस किसान को प्रमाणित जैविक के रूप में किसी प्रतिबंध या स्पष्टीकरण के बिना सूचीबद्ध रखता है । क्षेत्रीय परिषद का ऐसे मामले में संलग्न होना तर्कसंगत होगा, और वह स्थानीय समूह के सभी किसानों के प्रमाणीकरण अनुमोदन को रोक सकती है।

एक और उदाहरण है कि क्षेत्रीय परिषद को लगता है कि कुछ सिंगल किसानों के सहकर्मी मूल्यांकन नकली तरीके से किए गए या ठीक प्रकार नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय परिषद उन विशिष्ट खेतों की प्रमाणन स्थिति में दखल नहीं दे सकती, लेकिन वे स्थानीय समूह द्वारा प्रमाणन अनुमोदन को संपूर्ण रूप से रोक सकती हैं, और ***रोकना चाहिए*** ।

n. यदि समूह के पास इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो क्षेत्रीय परिषद पीजीएस वेबसाइट डेटाबेस में प्रत्येक स्थानीय समूह के लिए संक्षिप्त जानकारी दर्ज करेंगी और ***व्यक्तिगत फार्म*** को प्रमाणित करने वाला एक पेपर प्रमाण-पत्र भेजेगी ।

o. सभी जारी किए गए प्रमाणपत्रों में समूह की उत्पादन प्रणाली, सहकर्मी मूल्यांकन और निर्णय तंत्र पर संपूर्ण जानकारी पता करने व प्राप्त करने के लिए विशिष्ट आईडी (यूआईडी) कोड होता है।

चरण 4

a. क्षेत्रीय परिषद और पीजीएस-इंडिया सचिवालय भी स्वतंत्र पर्यवेक्षण करते हैं और वेबसाइट के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद को परिणाम से सूचित करेंगे ।

b. प्रत्येक वर्ष कीटनाशक अवशेषों के अचानक परीक्षण के लिए खेतों/उत्पादों का एक छोटा नमूना कहीं से भी चुना जाएगा और परिणाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे । दोनों मामलों में प्रतिकूल परिणाम समग्र रूप से स्थानीय समूह की प्रमाणन स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

c. एनईसी द्वारा कीटनाशक अवशेष परीक्षण मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा और पीजीएस-इंडिया सचिवालय द्वारा समन्वयित किया जाएगा। यह क्षेत्रीय परिषद और स्थानीय समूह को तय करना होगा कि सकारात्मक परिणाम के लिए क्या करना है। क्षेत्रीय परिषद को अवशेष परिणाम के बारे में समूह को बताना चाहिए और उसे सुधारात्मक कार्रवाई करने और अनुपालन न करने वाले किसानों को प्रतिबंधित करने के लिए कहना चाहिए। यदि समूह सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहता है और अनुपालन न करने वाले किसानों को प्रतिबंधित नहीं करता है, तो क्षेत्रीय परिषद प्रमाणीकरण को निलंबित/रद्द कर सकती है और पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर अपने स्टॉक से सभी उपज/उत्पादों को हटा सकती है।

5.3 क्षेत्रीय परिषद द्वारा एकल उत्पादक का प्रमाणन चरण -1

a. क्षेत्रीय परिषद पंजीकरण आवेदन प्राप्त करेंगी (ऑनलाइन या ऑफलाइन या हार्ड कॉपी में)। सिंगल किसान के विवरण की जाँच की जाएगी ।

b. कार्य करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दें और यदि आवश्यक हो तो प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान सहित एक समझौता करें। यदि डेटा अपलोड करने का कार्य क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाना है तो उसके लिए आवश्यक तौर-तरीकों को अंतिम रूप दें।

c. पर्याप्त पाए जाने पर तथा कार्य करने के तौर-तरीकों/समझौतों आदि को अंतिम रूप देने पर पंजीकरण को ऑन-लाइन अनुमोदित किया जाएगा।

d. पीजीएस वेबसाइट पर यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएं।

e. पीजीएस मानकों और परिचालन मैनुअल दिशानिर्देशों की प्रति प्रदान करें।

चरण 2

a. अनुरोध प्राप्त होने पर यदि संभव हो तो नजदीकी समूह से सहकर्मी मूल्यांककों को नामित करके समकक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था करें।

b. यदि कोई समूह पास में नहीं है, तो वार्षिक आधार पर खेत का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें और समकक्ष मूल्यांकन पत्रक को पूरा करें। उत्पादन के सभी चरणों का निरीक्षण किया जाएगा, और उत्पादक को क्षेत्रीय परिषद निरीक्षक से बात-चीत करने की सुविधा होनी चाहिए ।

c. क्षेत्रीय परिषद को निरीक्षक/सहकर्मी मूल्यांककों और उत्पादक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल्यांकन प्रपत्र जमा करें, और रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करें ।

d. क्षेत्रीय परिषद अनुपालन संबंधी जाँच करेगी, और गैर-अनुपालनों (यदि कोई हो) की पहचान करेगी और ऑपरेटर को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहेगी ।

चरण 3

a. पिछले गैर-अनुपालन, शिकायतों और जांच के निष्कर्षों पर विचार करें, यदि कोई हो;

b. पीजीएस-इंडिया मानकों और मानदंडों के अनुरूप पाए जाने पर, प्रमाणन प्रदान किया जाएगा और प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

c. स्कोप प्रमाण पत्र अनुमानित उत्पादन सहित नाम एवं फसल विवरण के साथ जारी किया जाएगा ।

d. फसल के बाद, उत्पादक वास्तविक उपज अपलोड करेगा । क्षेत्रीय परिषद अपलोड की गई वास्तविक उपज को ऑनलाइन सत्यापित कर सकती है और यदि संतुष्ट हो तो बिक्री और टीसी जारी करने के लिए लॉट नंबर और पैकेजिंग/बल्क आदि सहित स्वयं की खपत घटाकर, यदि लागू हो तो, अनुमोदित कर सकती है।

e. क्षेत्रीय परिषद द्वारा उपज अनुमोदन पर, टीसी ऑनलाइन उत्पन्न किए जा सकते हैं। टीसी एक बार में सिंगल सदस्य की पूरी उपज के लिए या बहुत कम बार जारी किए जा सकते हैं।

f. क्षेत्रीय परिषद को ऑपरेटरों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है ताकि प्रमाणित जैविक उत्पादों को एफएसएसएआई द्वारा विनियमित खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के साथ बेचा जा सके, क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए क्षमता निर्माण के रूप में उपयुक्त जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

g. यदि दो पीजीएस-इंडिया पंजीकृत ऑपरेटरों के बीच बिक्री हो रही है तो पेपर टीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन टीसी विक्रेता ऑपरेटर से खरीदार ऑपरेटर को स्टॉक के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

5.4 गैर-कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

a. प्राथमिक एवं माध्यमिक प्रसंस्करण, हैंडलिंग, भंडारण/गोदाम, पैकेजिंग और व्यापार सहित सभी ऑफ-फार्म प्रसंस्करण इकाइयां ऑफ-फार्म प्रसंस्करण के लिए अधिकृत क्षेत्रीय परिषद को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेंगी, और लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैंडलिंग, उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का

पूरा विवरण, स्रोत, प्रत्येक कच्चे माल की प्रमाणन स्थिति, प्रक्रिया प्रवाह शीट, व्यंजनों, इनपुट से आउटपुट का अनुपात, मशीनों का विवरण, उनके रखरखाव के लिए प्रक्रियाएं, संदूषण नियंत्रण उपाय और प्रलेखन पैटर्न का विवरण देंगी ।

b. प्रक्रिया संबंधी प्रलेखन बनाए रखा जाएगा और हर समय क्षेत्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित इनपुट और आउटपुट अनुपात के बीच संतुलन होना चाहिए।
c. संपूर्ण प्रसंस्करण जानकारी पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
d. तैयार उत्पादों को पीजीएस-इंडिया की वेबसाइट पर लॉट नंबर/बैच नंबर और पैकेजिंग विवरण के साथ अपलोड किया जाएगा। इस जानकारी के अभाव में कोई टीसी जारी नहीं की जाएगी
e. अंत में, संसाधित और पैक की गई सामग्री को लेनदेन प्रमाण पत्र के साथ बेचा जाएगा।
f. वितरक और खुदरा विक्रेता, जो पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (यदि आवश्यक हो तो) द्वारा सत्यापन के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र की प्रति अपने खरीद रिकॉर्ड के साथ रखेंगे।
g. लेनदेन प्रमाण पत्र पीजीएस-इंडिया वेबसाइट से ऑनलाइन तैयार किया जाएगा।
h. प्राधिकृत क्षेत्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण इकाई पीजीएस-समूहों से संबंधित पीजीएस प्रमाणित सामग्री का प्रसंस्करण कर सकती है।
i. स्वीकृत प्रसंस्करण इकाई को पीजीएस लेनदेन प्रमाण पत्र के साथ सभी कच्चा माल प्राप्त होंगा। पीजीएस प्रमाणित कच्चा माल उपलब्ध न होने की स्थिति में लेनदेन प्रमाण पत्र के साथ एनपीओपी प्रमाणित कच्चे माल का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भी मामले में, अंतिम संसाधित उत्पाद पीजीएस प्रमाणित होगा।
j. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे कि जैविक उत्पाद गैर-जैविक सामग्री या निषिद्ध सामग्री के संपर्क में नहीं आते हैं ।
k. संपूर्ण प्रसंस्करण प्रक्रिया में पीजीएस-इंडिया खाद्य प्रसंस्करण मानकों का पालन किया जाएगा।
l. एनपीओपी के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एनएसओपी) में प्रदान की गई अनुमोदित सूची के अनुसार सभी एडिटिव्स, प्रोसेसिंग सहायक और परिरक्षकों (preservetives) का उपयोग किया जाएगा।
m. प्रक्रिया संबंधी प्रलेख का अनुरक्षण किया जाएगा और क्षेत्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित इनपुट और आउटपुट अनुपात के बीच हमेशा संतुलन होना चाहिए।
n. संपूर्ण प्रसंस्करण जानकारी पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ।
o. तैयार उत्पादों को पीजीएस-इंडिया की वेबसाइट पर लॉट नंबर/बैच नंबर और पैकेजिंग विवरण के साथ अपलोड किया जाएगा। इस जानकारी के अभाव में कोई टीसी जारी नहीं की जाएगी ।
p. अंत में, संसाधित एवं पैक की गई सामग्री को लेनदेन प्रमाण पत्र के साथ बेचा जाएगा।
q. वितरक और खुदरा विक्रेता, जो पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) द्वारा सत्यापन के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र की प्रति अपने खरीद रिकॉर्ड के साथ रखेंगे।
r. लेनदेन प्रमाण पत्र पीजीएस-इंडिया वेबसाइट से ऑनलाइन तैयार किया जाएगा।

5.5 गैर-कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

a. आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय परिषद, लेखा सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए, उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के स्रोतों, प्रत्येक कच्चे माल की प्रमाणन स्थिति, फ्लो-शीट प्रक्रिया, इनपुट और आउटपुट के अनुपात, मशीनों के विवरण तथा उनके रखरखाव हेतु प्रक्रियाओं, संदूषण नियंत्रण उपायों एवं प्रलेखन पैटर्न को सत्यापित करेगी ।

b. क्षेत्रीय परिषद, यदि आवश्यक हो, प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगी तथा संतुष्ट होने पर पंजीकरण करेंगी ।

c. क्षेत्रीय परिषद इकाई और उसकी सभी बुनियादी सुविधाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगी । अनुपालन मूल्यांकन हेतु क्षेत्रीय परिषद के प्रतिनिधि को ऑपरेटर पूरी सुविधा देने के लिए बाध्य है।

d. प्रत्यक्ष निरीक्षण एकरूपता बनाए रखने के लिए पूर्व निर्धारित प्रारूप पर आधारित होगा और निरीक्षक कच्चे माल की सूची, प्रक्रिया का विवरण, उपयोग की गई मशीनों, संदूषण नियंत्रण उपायों, भंडारण, इनपुट और आउटपुट के अनुपात सहित प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण का निरीक्षण सुनिश्चित करेगा। निरीक्षक कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर तैयार उत्पाद तक लेखापरीक्षा भी करेगा;

प्रत्येक पंजीकृत प्रसंस्करण/हैंडलिंग इकाइयों का क्षेत्रीय परिषद द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण, अधिमानतः उस समय जब प्रसंस्करण प्रचालन में हो, किया जाएगा;

f. संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय परिषद, स्वम् द्वारा अनुमोदित एवं लागू प्रक्रियाओं के संबंध में ऑपरेटर को अनुमोदन प्रदान करेगी और अनुमानित उपज सहित अनुमोदित उत्पादों के नाम के साथ स्कोप प्रमाणपत्र जारी करेंगी ।

g. पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली संपूर्ण प्रसंस्करण जानकारी की निगरानी क्षेत्रीय परिषद द्वारा समय-समय पर की जाएगी।

h. क्षेत्रीय परिषद ऑपरेटरों द्वारा अपलोड किए जाने और अनुरोध प्राप्त होने पर उत्पादों को अनुमोदित करेंगी ।

i. वास्तविक उत्पादन को समय-समय पर ऑपरेटर द्वारा अपलोड करना होगा और क्षेत्रीय परिषद द्वारा अलग-अलग अंतराल पर वास्तविक उत्पादन स्टॉक को सत्यापित करना होगा ।

j. क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्टॉक के अनुमोदन पर, टीसी पीजीएस-इंडिया वेबसाइट से ऑनलाइन उत्पन्न किया जा सकता है ।

k. अंतत:, संसाधित एवं पैक की गई सामग्री को लेनदेन प्रमाण पत्र के साथ बेचा जाएगा।

l. वितरक एवं खुदरा विक्रेता, जो पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) द्वारा सत्यापन के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र की प्रति अपने खरीद रिकॉर्ड के साथ रखेंगे।

5.6 बड़े निकटवर्ती पारंपरिक/डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्र के लिए प्रमाणन प्रक्रिया

5.6.1 ग्राम परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया

a. प्रमाणन के तहत लाए जाने वाले क्षेत्र को परिभाषित करें और मानचित्र तैयार करें।

b. किसान-वार दस्तावेज तैयार करें, यानी किसान का नाम, परिवार का विवरण, भूमि - विवरण, पशुधन का विवरण, सिंगल किसान की भूमि का मानचित्र में स्थान । सभी किसानों को शामिल किया जाएगा और पूरे परिभाषित क्षेत्र को कवर किया जाएगा।

c. एक गांव, एक समूह की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए ग्रामवार समूह बनाएं ।

d. सभी किसानों से पीजीएस-इंडिया आवेदन पत्र एवं पीजीएस संबंधी प्रतिज्ञा प्राप्त करें ।

e. सुनिश्चित करें कि कम से कम पिछले 3 वर्षों के लिए पूरे परिभाषित क्षेत्र में कोई सिंथेटिक इनपुट उपयोग का इतिहास नहीं है, साथ ही यह भी कि सिंथेटिक इनपुट की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया हो।
f. राज्य सरकार से अनुरोध है कि पिछले 3 वर्षों से सिंथेटिक इनपुट उपयोग मुक्त क्षेत्र के आवश्यक दस्तावेज जारी करें ।
g. पंजीकरण के लिए उपरोक्त सभी कागजात की प्रतियों सहित क्षेत्रीय परिषद को आवेदन करें। आवेदन ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार किये जाने चाहिए ।
h. परिभाषित क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों एवं निर्धारित क्षेत्र के गांवों से आवेदन जमा करें। एक क्षेत्र के लिए केवल एक क्षेत्रीय परिषद का चयन किया जाएगा ।
i. प्रत्येक गाँव में स्थानीय किसान सहकर्मी समिति के माध्यम से प्रथम सहकर्मी मूल्यांकन किया जाएगा और समेकित सहकर्मी मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा ।
j. सभी विवरण संबंधित क्षेत्रीय परिषद एवं ऑचलिक परिषद को जमा किया जाएगा ।
k. पीजीएस-इंडिया पोर्टल में आवश्यक डेटा अपलोड करें ।
l. पारंपरिक जैविक स्थिति के निरीक्षण और सत्यापन के लिए और रूपांतरण स्थिति पर संस्तुति के लिए पीजीएस-एनईसी द्वारा नियुक्त समिति को सुविधा प्रदान की जाएगी ।
m. जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त होने पर गाँव एक समूह के रूप में और एक ब्रांड नाम के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों का विपणन कर सकता है।
n. बिक्री के लिए लेनदेन प्रमाण पत्र गांव के सामान्य नाम के तहत पीजीएस पोर्टल से उत्पन्न किया जा सकता है। बड़े क्षेत्र में प्रमाण पत्र और टीसी प्रमाणीकरण ग्राम समूहवार जारी किया जाएगा। सिंगल किसान और प्रसंस्करण इकाइयाँ बड़े क्षेत्र प्रमाणन के तहत योग्य नहीं होंगी।
o. प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए हर साल कम से कम एक सहकर्मी मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें सभी किसानों को शामिल किया जाएगा, और समेकित सहकर्मी मूल्यांकन पत्रक, ग्राम-वार तैयार करके क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा ।

5.6.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणन प्रक्रिया

a. क्षेत्रीय परिषद सभी ग्राम पंचायतों/गांवों से आवेदन प्राप्त करेगी ।
b. दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पूर्णता की पुष्टि करेगी ।
c. किसी गांव के समकक्ष मूल्यांकन में भाग लेंगी (एक विशेष क्षेत्र का कम से कम 20%) ।
d. पीजीएस-एनईसी समिति सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेंगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी।
e. समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर और प्रथम समकक्ष मूल्यांकन के पूरा होने पर क्षेत्र की प्रमाणन स्थिति पर निर्णय लेंगी और पीजीएस-एनईसी के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेंगी।
f. **पीजीएस-एनईसी** के अनुमोदन प्राप्त होने पर, गांवों, उनके क्षेत्र, पशुधन और किसानों/उत्पादकों की संख्या सहित पूरे क्षेत्र को प्रमाणीकरण प्रदान करेंगी।
g. प्रमाणन के बाद के नवीनीकरण को क्षेत्रीय परिषद द्वारा वार्षिक सहकर्मी मूल्यांकन और यादृच्छिक प्रत्यक्ष सत्यापन प्राप्त होने पर प्रदान किया जाएगा । क्षेत्रीय परिषद को यह सुनिश्चित करना होगा कि मानक अनुपालन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक गांव का दो साल में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया हो ।

5.7 उपभोक्ताओं द्वारा प्रमाणीकरण का सत्यापन

पूरे कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पीजीएस-इंडिया वेबसाइट डेटाबेस का कार्य करेगी। सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए पूरे ऑपरेशनल डेटाबेस को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। स्थानीय समूह कोड, किसी विशेष उत्पाद का

विशिष्ट आईडी कोड उपलब्ध होने के साथ, उपभोक्ताओं को उत्पादक, प्रोसेसर या व्यापारी की जानकारी प्राप्त हो सकेगी । चूंकि लेबल पर प्रदान किया गया यूआईडी कोड अंतिम ऑपरेटर द्वारा जारी किया जाएगा, इसलिए प्रमाणीकरण का विवरण केवल उस ऑपरेटर से संबंधित पब्लिक डोमेन में दिखाई देगा। यदि उपभोक्ता या खरीदार पूर्ण ट्रैसेबिलिटी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उपभोक्ता ट्रैसेबिलिटी के लिए क्षेत्रीय परिषद से संपर्क कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन सर्टिफिकेट पर क्षेत्रीय परिषद का नाम और पता दिया जाएगा ।

क्षेत्रीय परिषदें अनुरोध प्राप्त होने पर, उपभोक्ताओं को ट्रेसबिलिटी रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए बाध्य होंगी।

अध्याय 6

समयसीमा, शिकायतें एवं अपील

6.1 समयसीमा

6.1.1 स्थानीय समूह के लिए

a. चार समूह बैठकें, प्रत्येक सत्र में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएगी ।
b. एक प्रशिक्षण, वर्ष के दौरान किसी भी समय। पंजीकरण के 6 महीने के भीतर पहला प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।
c. फसल की वृद्धि अवधि के दौरान बुवाई के 15 दिनों से लेकर कटाई से 15 दिन के पहले तक समकक्ष मूल्यांकन किया जाएगा ।
d. रोपण फसलों के मामले में भी दो समकक्ष मूल्यांकन, एक फूल के मौसम के दौरान और दूसरा छह महीने के बाद किया जाएगा ।
e. फसल की तारीख से 7 दिन पहले तक सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट अपलोड की जाएगी ।
f. कटाई के 60 दिनों के भीतर वास्तविक उपज की अपलोडिंग की जाएगी।
g. स्टॉक रखने की समय सीमा - स्कोप सर्टिफिकेट की वैधता अवधि के भीतर होगी ।
h. यदि कोई टीसी जारी नहीं किया जाता है और स्टॉक बिना बिका रहता है तो पीजीएस-इंडिया वेबसाइट कटाई की तारीख से 12 महीने के बाद स्टॉक को ऑटो मोड से हटा देगी।
i. पशुधन उत्पादों, सब्जियों और फलों आदि जैसे खराब होने वाली वस्तुओं का व्यापार दैनिक या साप्ताहिक आधार पर समूह के विवेक के अनुसार किया जा सकता है और उपज साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, और टीसी भी साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर बैच मोड में जारी किए जाएंगे ।

6.1.2 क्षेत्रीय परिषदों के लिए

a. स्थानीय समूह/सिंगल किसान/प्रोसेसर आवेदन की स्वीकृति इसे प्रस्तुत करने की तिथि के 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीय परिषद द्वारा की जाएगी ।
b. यदि स्थानीय समूह अनुमोदन के लिए अनुरोध करता है तो 60 दिनों के भीतर पहला निरीक्षण और अनुमोदन पूरा करते हुए पंजीकरण प्रदान किया जाएगा ।
c. प्रमाणन निर्णय का अनुमोदन, सहकर्मी मूल्यांकन सारांश पत्रक प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर या क्षेत्रीय परिषद द्वारा वापसी के बाद प्रमाणन निर्णय को फिर से जमा करने पर 15 दिनों के भीतर किया जाएगा ।
d. सिंगल किसानों/प्रोसेसर और हैंडलर के मामले में प्रत्यक्ष निरीक्षण के 30 दिनों के भीतर प्रमाणीकरण की मंजूरी प्रदान की जाएगी।
e. स्थानीय समूह द्वारा वास्तविक पैदावार अपलोड करने के 15 दिनों के भीतर वास्तविक पैदावार की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।
f. स्थानीय समूह का प्रत्यक्ष निरीक्षण - पहली बार 12 महीने के भीतर और बाद में 24 महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा ।
g. सिंगल किसानों/संसाधकों और हैंडलिंग इकाइयों का प्रत्यक्ष निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा ।
h. प्रोसेसर और हैंडलर के मामले में, वार्षिक प्रणाली योजना की स्वीकृति प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी ।

6.1.3 ऑचलिक परिषदों के लिए

a. क्षेत्रीय परिषद की निगरानी और प्रत्यक्ष मूल्यांकन - 12 महीने में कम से कम एक बार किया जाएगा
b. क्षेत्रीय परिषद और उनके प्रमाणन प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना - वर्ष में एक बार (जनवरी-फरवरी के दौरान) हर साल जनवरी से दिसंबर की अवधि संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।
c. नमूना संग्रह और अवशेष विश्लेषण - पीजीएस सचिवालय और पीजीएस-एनईसी के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।
d. क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण इंकार करने के विरुद्ध स्थानीय समूह की अपील का निपटान - अपील प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा ।
e. शिकायतों की जांच और पीजीएस सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना - शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।

6.2 शिकायतें एवं अपील

6.2.1 जनता द्वारा शिकायतें

पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमाणीकरण से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय समूह या क्षेत्रीय परिषद के कार्यों के विरुद्ध जनता, उपभोक्ताओं, व्यापार निकाय, खुदरा विक्रेता या व्यापारी आदि के किसी भी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किसी भी शिकायत के मामले में वे अपनी शिकायत निम्नानुसार दर्ज कर सकते हैं:

a. स्थानीय समूह, सिंगल उत्पादक या प्रोसेसर/हैंडलर के कामकाज के विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत की जाएगी ।
b. क्षेत्रीय परिषद के कामकाज के विरुद्ध संबंधित क्षेत्रीय परिषद और पीजीएस सचिवालय को दी जाएगी
c. पीजीएस-इंडिया लोगो (LOGO) के दुरुपयोग के मामलों में ऑचलिक परिषद/क्षेत्रीय परिषद को जाएगी ।
d. प्रतिकूल अवशेष परीक्षण रिपोर्ट के मामलों में ऑचलिक परिषद/क्षेत्रीय परिषद को प्रस्तुत की जाएगी

6.2.2 स्थानीय समूहों द्वारा शिकायतें एवं अपील

a. प्रमाणीकरण समिति द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार करने के मामले में या प्रतिकूल सहकर्मी मूल्यांकक रिपोर्ट के खिलाफ सिंगल किसान सदस्य द्वारा पूर्ण समूह निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।
b. स्थानीय समूह सदस्यों के मनमाने फैसलों के खिलाफ या पीजीएस-इंडिया मानदंडों के खिलाफ स्थानीय समूह के कामकाज के खिलाफ संबंधित क्षेत्रीय परिषद और/या ऑचलिक परिषद को दी जाएगी ।
c. क्षेत्रीय परिषद द्वारा प्रमाणीकरण अस्वीकार करने या हितों के टकराव, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के दायरे में आने वाली क्षेत्रीय परिषद द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के खिलाफ ऑचलिक परिषद को दी जाएगी ।
d. यदि आंचलिक परिषद द्वारा समय पर अपीलों का समाधान नहीं किया जाता है तो पीजीएस सचिवालय को प्रस्तुत की जाएगी ।

6.2.3 क्षेत्रीय परिषद द्वारा शिकायतें एवं अपील

a. निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया संबंधी ऑचलिक परिषदों के विरुद्ध पीजीएस सचिवालय को दी जाएगी
b. पीजीएस सचिवालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध पीजीएस-एनईसी को दी जाएगी

6.2.4 अपीलों का निपटान

सभी अपीलों का निपटारा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा । ऐसे मामलों में यदि किसी शिकायत या अपील की जांच की आवश्यकता होती है, तो ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के

भीतर अपीलों का निपटारा किया जाना चाहिए।

अध्याय 7

लेबलिंग और लोगो की मंजूरी

6.1 लोगो (LOGO) एवं यूनिक प्रमाणपत्र आईडी कोड प्रदान करना

क्षेत्रीय परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने पर, स्थानीय समूह प्रचार, व्यापार पूछताछ या व्यापार साहित्य में डालने के लिए स्कोप प्रमाणपत्र का उपयोग कर सकता है और प्रदान किए गए पीजीएस लोगो**(LOGO)** का भी उपयोग कर सकता है। स्कोप सर्टिफिकेट में एक यूनिक नंबर होगा, जो किसानों के साथ-साथ क्षेत्रीय परिषद एवं लोकल ग्रुप की पहचान करेगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र में वर्ष के दौरान प्रमाणित क्षेत्र, फसलों और उत्पादों को अनुबंध के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। पीजीएस प्रमाणित उत्पादों के पैकेट या कंटेनर यूआईडी कोड सहित पीजीएस लोगो के साथ मुद्रित किए जा सकते हैं।

उत्पाद पर लोगो को विशिष्ट आईडी कोड सहित मुद्रित करना आवश्यक है। उपभोक्ता पीजीएस-इंडिया वेबसाइट पर उपभोक्ता सत्यापन विंडो में यूआईडी कोड दर्ज करके प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता एवं अंतिम अंत हैंडलर के नाम और पते तक पहुंच सकते हैं। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का पता लगाने के लिए उपभोक्ताओं को यूआईडी कोड के साथ क्षेत्रीय परिषद से संपर्क करना होगा।

लोगो के उपयोग का अधिकार पंजीकृत समूह, किसान, प्रसंस्करण और हैंडलिंग ऑपरेटर के पास है। यह अधिकार तब तक हस्तांतरणीय नहीं है जब तक कि उपभोक्ता के सामने मूल्य श्रृंखला के अंतिम बिंदु को ट्रेसबिलिटी की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कवर न कर लिया जाए, और पीजीएस-एनईसी द्वारा पीजीएस-इंडिया की संरचना सहित अनुमोदित न कर दिया जाए ।

6.2 कार्यक्षेत्र(स्कोप) प्रमाणपत्र की वैधता

स्कोप सर्टिफिकेट की वैधता क्षेत्रीय परिषद द्वारा निर्णय अनुमोदन की तारीख से 12 महीने तक रहेगी । स्कोप सर्टिफिकेट सीजन (खरीफ, रबी और ज़ैद) के अनुसार जारी किया जाएगा, जो समय पर सहकर्मी मूल्यांकन सारांश शीट एवं अन्य आवश्यकताओं, जैसे समूह की बैठकों और प्रशिक्षणों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

6.3 <u>रूपांतरणाधीन</u> स्थिति पीजीएस एवं <u>पीजीएस ऑर्गेनिक</u> के लिए अलग-अलग लोगो (LOGO) का प्रयोग

पीजीएस रूपांतरणाधीन (***अन्डर कन्वर्जन***) और ***पीजीएस ऑर्गेनिक*** के लिए दो अलग-अलग लोगो दिए जाएंगे:

पीजीएस आर्गैनिक

पीजीएस ग्रीन

6.4 लोगो (LOGO) के उपयोग संबंधी शर्तें

जब पीजीएस प्रमाणित उत्पादों को पंजीकृत पीजीएस ऑपरेटर (किसान समूह, प्रमाणित किसान और ऑफ-फार्म प्रोसेसर) की देखरेख में पैक किया जाता है तो पीजीएस लोगो के साथ स्कोप सर्टिफिकेट पर प्रदान किए गए यूनिक आईडी कोड सहित लेबल किया जा सकता है।

स्कोप सर्टिफिकेट में दिए गए विवरण के अनुसार प्रमाणित मात्रा और क्षेत्रीय परिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित उपज/उत्पादन पर ही लोगो का उपयोग किया जाएगा ।

यूनिक आईडी कोड के बिना लोगो(LOGO) के उपयोग की अनुमति नहीं होगी ।

ऑर्गेनिक और ***इन-कन्वर्ज़न*** उत्पादों के लिए अलग-अलग लोगो का उपयोग किया जाएगा ।

6.5 लेबलिंग

i. जब सभी मानक आवश्यकताओं को प्रमाणित किया जा चुका हो तो एकल संघटक उत्पादों को "पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक" के रूप में लेबल किया जा सकता है ।

ii. बहु संघटक उत्पाद, जिसमें सभी अवयव 100% जैविक मूल के हैं, उत्पादों को "आर्गेनिक" के रूप में लेबल किया जा सकता है , जब सभी अवयवों से संबंधित सभी मानक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हों और प्रमाणित की गई हों।

iii. बहु संघटक उत्पाद जिसमें योजक (additives) सहित सभी अवयव जैविक मूल के नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीके से लेबल किया जा सकता है:-

- जहां अनुमत योजक, प्रसंस्करण सहायक और परिरक्षकों (एनपीओपी के परिशिष्ट 5 के तहत अनुमत) सहित कृषि मूल के इसके अवयवों के भार के आधार पर न्यूनतम 95% जैविक हैं, उत्पादों को "आर्गेनिक" के रूप में लेबल किया जा सकता है।
- जहां 95% से लेकर 70% के भीतर, भार के अनुसार इसकी कृषि मूल की सामग्री जैविक है, उत्पादों को "आर्गेनिक" नहीं कहा जा सकता है और केवल "made with organic ingrediants" के रूप में लेबल किया जा सकता है।

iv. लेबलिंग से उत्पाद की जैविक स्थिति के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी मिलेगी।

v. पीजीएस-ऑर्गेनिक प्रमाणन के साथ प्रदान किए गए उत्पादों में पीजीएस-इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का उपयोग किया जाएगा।

vi. **इन-कन्वर्ज़न टू आर्गेनिक** (आर्गेनिक में रुपांतरणाधीन) और ***पीजीएस-ग्रीन*** प्रमाणन मंज़ूर किए गए उत्पादों में ***पीजीएस-ग्रीन*** लोगो का उपयोग किया जाएगा। इस तरह के उत्पादों को जैविक होने का दावा नहीं किया जाएगा, और केवल "**इन-कन्वर्ज़न टू आर्गेनिक**" का प्रयोग किया जा सकता है ।

vii. प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार कंपनी का नाम और पता लेबल पर उल्लिखित किया जाएगा।

viii. सरकारी कार्यक्रम का लोगो (जैसे MOVCDNER या PKVY आदि) भी लेबल पर दर्शाया जा सकता है।

ix. उत्पाद को प्रमाणित करने वाली क्षेत्रीय परिषद का लोगो भी उत्पाद पर चिपकाया जाएगा।

x. इसके अलावा, लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011, और खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक उत्पाद) विनियम, 2017, के तहत निर्धारित सभी सामान्य और उत्पाद विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा।

xi. सभी पीजीएस-इंडिया प्रमाणित उत्पादों के संबंध में, एफएसएसएआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एफएसएस अधिनियम, 2006, की सामान्य आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा ।

अध्याय 8

गैर-अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश
"प्रतिबंधों की सूची "

7.1 स्थानीय समूह द्वारा किसानों/उत्पादकों के लिए स्वीकृति सूचीपत्र

किसानों पर प्रतिबंध संपूर्ण रूप में स्थानीय समूह द्वारा, या स्थानीय समूह प्रमाणन समिति (यदि कोई गठित की गई हो) द्वारा लागू किए जाएंगे।

स्थितियॉ	प्रतिबंध का प्रकार
• आवश्यक फील्ड डे पर अनुपस्थिति • असंतोषजनक उत्पादन प्रणाली	मौखिक चेतावनी
• मानकों या नियमों का मामूली उल्लंघन • समान गल्ती के लिए बार-बार लिखित चेतावनी • अनुमोदन शर्तों के बारे में उत्तर नहीं दिया जा रहा है ।	*प्रमाणन का अल्पकालिक निलंबन* पुन: सहकर्मी निरीक्षण/परामर्श प्राप्त करने में किसान द्वारा लिए गए समयावधी को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा ।
• बार-बार मामूली उल्लंघन • मानकों का स्पष्ट उल्लंघन जिससे उत्पाद की जैविक स्थिति प्रभावित नहीं हुई है ।	ऐसी स्थिति के बाद एक निश्चित अवधि के लिए *निलंबन,* जब तक किसान सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर लेता है।
• मानकों का स्पष्ट उल्लंघन जिससे उत्पाद की जैविक स्थिति प्रभावित हुई हो, जैसे, निषिद्ध कीटनाशक या सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग ।	*1 साल की अवधि के लिए निलंबन* *किसान को वापस रुपांतरण **"इन-कन्वर्जन"** स्थिति में ले जाया जा सकता है ।*
• बार-बार उल्लंघन करने के कारण दंड, निलंबन या अनुमोदन की वापसी • स्पष्ट धोखाधड़ी • जानबूझकर निरीक्षण में बाधा, जैसे, सहकर्मी मूल्यांकक, वैधानिक प्राधिकारी को नकारना, और क्षेत्रीय परिषद को पहुंच से इंकार करना । • अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखित अनुरोध का उत्तर न देना ।	*भागीदारी की समाप्ति ।* किसान(किसानों) को PGS की सदस्यता से स्थायी रूप से या निर्धारित समयावधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा ।

अपील का अधिकार

किसान स्थानीय समूह द्वारा प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख के 2 सप्ताह के भीतर क्षेत्रीय परिषद में, **<u>या प्रतिबंध</u>** को लागू करने वाली प्रमाणन समिति होने पर, समग्र रूप से, स्थानीय समूह में अपील कर सकते हैं।

7.2 क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह के लिए प्रतिबंध सूची

बार-बार गैर-अनुपालन या मानकों के उल्लंघन के लिए क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्थानीय समूह पर समग्र रूप से लागू किए जाने वाले प्रतिबंध ।

स्थिति	प्रतिबंध का प्रकार
• अधूरा प्रलेखन • तिमाही अवधि से संबंधित पूरी बैठकें एवं प्रशिक्षण पूरा न करना • अनटाइमली सहकर्मी मूल्यांकन, में देरी सारांश पत्रक प्रस्तुत करना • डेटा का समय पर अपलोड करने में असफल वेबसाइट पर	मामूली (Minor) - भविष्य के लिए चेतावनी एवं अनुपालनार्थ सलाह ।
• प्रक्रियाओं या विनियमों का उल्लंघन का पता चलने पर स्थानीय समूह द्वारा सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं । • बार-बार गैर-अनुपालन और अनुपालन के बारे में लिए गंभीर न होना । • अनुमोदन की शर्तों/एडवाइजरी पर कार्रवाई न करना	बड़ा(Major) - अनुमोदन के निर्णय को रोकना, अनुपालन किए जाने तक निर्णय वापस लिया जाएगा ।
• बार-बार मामूली उल्लंघन • मानकों का स्पष्ट उल्लंघन लेकिन उत्पाद की जैविक स्थिति प्रभावित नहीं हुई है ।	बड़ा (मेजर) - प्रमाणन के अनुमोदन की अस्वीकृति या लघु अवधि के लिए प्रमाणन को निलंबित कर देना । टीसी जारी होने से रोक देना ।
• सदस्यों द्वारा मानकों स्पष्ट उल्लंघन और स्थानीय समूह कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और निर्णय को अधूरे सहकर्मी मूल्यांकन के साथ अग्रेषित करना । • स्थानीय समूह का निर्णय बहुत ग़लत है ।	मेजर - निर्णय वापस लिया जाएगा, प्रमाणीकरण के अनुमोदन को अस्वीकृत किया जाएगा ।
• बार-बार उल्लंघन करने के कारण निलंबन या अनुमोदन वापस लेना। • समूह द्वारा स्पष्ट धोखाधड़ी करना । • अतिरिक्त जानकारी हेतु लिखित अनुरोध का उत्तर न देना । • कीटनाशक - अवशेष संबंधी परीक्षण में कीटनाशकों की उपस्थिति पाया जाना । • सहकर्मी द्वारा मूल्यॉकन को जारी न रखना या 12 महीने से अधिक समय के बाद मूल्यांकन की रिपोर्ट देना ।	प्रमाणन से इनकार कर दिया जाएगा । समूह की स्थिति को डाउनग्रेड किया जाएगा । बिक्री को रोकने के लिए पीजीएस-इंडिया वेबसाइट से पूरी उपज को हटाना । एक निर्धारित अवधि के लिए या स्थायी रूप से समूह को समाप्त कर दिया जाएगा । प्रमाणन स्थिति को 'रूपांतरण अवधि' (इन-कन्वर्जन अवस्था में) में लाया जाएगा, एवं समकर्मी मूल्यॉकन प्रस्तुति के 6 महीने के भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण सहित समीक्षा की जाएगी ।

अपील का अधिकार

परिषद द्वारा प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर स्थानीय समूह क्षेत्रीय परिषद की कार्रवाई के विरुद्ध ऑचलिक परिषद को अपील कर सकता है। यदि 15 दिनों के भीतर ऑचलिक परिषद से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो स्थानीय समूह पीजीएस सचिवालय से संपर्क कर सकते हैं।

7.3 क्षेत्रीय परिषद के लिए प्रतिबंध सूची (Sanction Catalogue)

पीजीएस सचिवालय द्वारा क्षेत्रीय परिषदों पर निम्न स्थितियों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे ।

स्थितियॉ	गैर-अनुपालन और प्रतिबंध का प्रकार
• पंजीकरण की स्वीकृति में समयावधि का पालन नहीं किया जा रहा हों । • स्थानीय समूह के अनुरोध पर अनुमोदन से इनकार किया जा रहा हो । • दस्तावेजों, दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं किए जा रहे हों । • क्षमता-निर्माण में कोई भी सहायता न की जा रही हो और स्थानीय समूह के सहकर्मी मूल्यांकन में भाग नहीं लिया जा रहा हो ।	मामूली (माइनर) – चेतावनी दी जाए। बार-बार चेतावनी दिए जाने पर नवीनीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है ।
• समय पर प्रमाणीकरण के अनुमोदन में विफलता • प्रमाणीकरण पर गलत/आकस्मिक निर्णय लेना • निगरानी के दौरान प्रमाणीकरण के अनुमोदन/सेवा में गल्ती पाया जाना । • वार्षिक निगरानी का कोटा पूरा नहीं होना ।	बड़ा प्रतिबंध(Major) – चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद निर्धारित समयावधी में अनुपालन किया जाएगा । बार-बार गैर-अनुपालन की स्थिति में निर्धारित समयावधि के लिए निलंबित किया जा सकता है । नए समूहों के पंजीकरण पर प्रतिबंध और/या समूहों को अन्य क्षेत्रीय परिषद में स्थानांतरित किया जाएगा ।
• समय की देरी के साथ-साथ, बार-बार आकस्मिक/गलत प्रमाण पत्र • स्थानीय समूह एवं व्यापार भागीदारों से शिकायतें • स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रदर्शित करने में हितों के टकराव या विफलता का सामने आना ।	बड़ा प्रतिबंध (मेजर) - पीजीएस सचिवालय द्वारा प्राधिकार से अस्थायी निलंबन किया जाएगा और जॉच के बाद अंतिम निर्णय के लिए एनईसी को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी ।
• 12 महीने तक आवश्यक संख्या में समूहों का कोई पंजीकरण नहीं किया गया हो, और 12 महीने तक प्रमाणन संबंधी कोई गतिविधि नहीं हुई हो।	पीजीएस सचिवालय द्वारा पीजीएस वेबसाइट तक पहुंच को बंद कर दिया जाएगा और एनईसी द्वारा प्राधिकार को रद्द करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।
• कार्यक्रम की भावना के विरुद्ध पीजीएस प्रक्रियाओं का बड़ा उल्लंघन, ऐसी गतिविधियों जिनसे कार्यक्रम की बदनामी होती है, और पीजीएस-इंडिया नियमों के घोर उल्लंघन संबंधी स्थानीय समूह और ऑपरेटरों की मिलीभगत, और विश्वसनीयता को खतरा ।	पीजीएस सचिवालय द्वारा प्राधिकार संबंधी अस्थायी निलंबन किया जाएगा और जॉच के बाद निष्कासन पर अंतिम निर्णय के लिए एनईसी को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी ।

अपील का अधिकार

क्षेत्रीय परिषद प्रतिबंध की अधिसूचना की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर पीजीएस-एनईसी (PGS-NEC) में अपील कर सकती है। संतुष्ट न होने की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद द्वारा पीजीएस-एनएसी(PGS-NAC) में अपील की जा सकती हैं।

सुविधाप्रदाता एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं को पैनल में शामिल करने के लिए स्वीकृत दिशा-निर्देश :-

"सुविधाप्रदाता एजेंसियां ऐसे संगठन हैं जो "पीजीएस-इंडिया के तहत, हैंड-होल्डिंग, क्लस्टर-गठन, क्षमता-निर्माण, विपणन, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) का कार्यान्वयन/अन्य जैविक खेती योजनाओं/कार्यक्रमों आदि में किसानों की सहायता करते हैं।"

सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियों /सेवा प्रदाताओं के ई -पैनल के लिए पात्रता मानदंड :

1. कानूनी रूप से पंजीकृत एजेंसी
2. **आवश्यक अनुभव** :
   (i) आवेदनकर्ता एजेंसी या उसके कार्मिकों को जैविक खेती प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, प्रमाणन प्रणाली का ज्ञान, विपणन में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव ।
   (ii) एफपीओ/एफपीसी/ऑर्गेनिक क्लस्टर निर्माण में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव।
   (iii) जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं में हितधारकों की क्षमता-निर्माण में आंतरिक क्षमता।

   वांछनीय:
   (i) जीआईएस (GIS) और रिमोट सेंसिंग (Remote Sensing) में अनुभव।

3. संचालन के स्थान पर चालू स्थिति में कार्यालय होना चाहिए ।
4. पर्याप्त बुनियादी ढांचा एवं डिजिटल सपोर्ट सिस्टम की सुविधा ।
5. उपर्युक्त उल्लिखित क्षेत्रों में प्रमाणिक क्षमता वाले पर्याप्त कार्मिक होने चाहिए ।
6. *अपवर्जन (Exclusion): कोई भी स्टार्ट-अप, जो कृषि में अभिनव कार्य कर रहा हो, कम से कम 01 वर्ष के अनुभव सहित जैविक खेती को बढ़ावा देने का अनुभव हो।*

अन्य बातों के साथ-साथ, **सुविधा प्रदाता एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं की भूमिकाओं एवं दायित्वों में निम्न बातें शामिल हो सकती हैं-**

- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अग्रणी संसाधन व्यक्तियों (LRPs) के रूप में जनशक्ति की तैनाती करना ।
- 'रुचि रखने वाले किसानों की लामबंदी द्वारा समूह/क्लस्टर का गठन करना।
- किसानों की बुनियादी आंकड़ों का संग्रहण (जैसे, पहचान-पत्र, भूमि विवरण, डीबीटी के लिए बैंक खाते का विवरण, खेतों की पृष्ठभूमि आदि पीजीएस-इंडिया के तहत आवश्यकता के अनुरूप)
- 'पीजीएस-इंडिया पोर्टल पर स्थानीय समूहों के ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता देना ।
- डाटा अपलोड और प्रबंधन पीजीएस-इंडिया पोर्टल/राज्य आईसीटी नेटवर्क पर स्थानीय समूह को सुविधा प्रदान करना (किसानों की तरह 'विस्तार, खेत-इतिहास, समूह सारांश शीट, सहकर्मी मूल्यांकन आदि)।
- *निम्न के बारे में प्रशिक्षण*, समूह-*बैठक* और *एक्सपोजर विज़िट द्वारा* 'किसानों/स्थानीय समूह का क्षमता-निर्माण:

- जैविक खेती संबंधी गतिविधियाँ
- PGS-इंडिया मानक,

- पीजीएस समूह संचालन, प्रलेखन, सहकर्मी मूल्यांकन, प्रमाणन संबंधी निर्णय
- संस्थागत विकास/एफपीओ/एफपीसी बनाना और उनका पेशेवर प्रबंधन।

- निम्न को तैयार करने में किसानों की सहायता करना : -
  - वार्षिक कार्य योजना
  - पैकिंग, मार्केटिंग, लोगो (LOGO) तैयार करना, आदि।
  - पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन के लिए उपयुक्त स्वास्थानिक *(ऑन-फार्म) रणनीतियाँ*

- स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा में पीजीएस-इंडिया संबंधी साहित्य का वितरण।

- आवधिक रिपोर्टों को तैयार करना और प्रस्तुत करना।

- बाजार से जुड़ाव की सुविधा देना, स्थानीय बाजार और शहर के बाजारों में प्रीमियम उत्पाद के रूप में पीजीएस-इंडिया प्रमाणित उपज का बाजार सुनिश्चित करने के लिए पहल करना ।

- ब्रांड के निर्माण गतिविधियों में राज्यों की सहायता करना और देश के भीतर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में राज्यों की क्षमताओं को प्रस्तुत करना ।

- बैठकों और स्थानीय समूह सहकर्मी निरीक्षण में भाग लेना, अन्य स्टेकहोल्डर को पीजीएस इंडिया प्रणाली में सक्रिय भागीदारी करने के लिए सुविधा प्रदान करना ।

- स्थानीय समूहों के कार्यों की समय-समय पर निगरानी करना और किसानों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करना ।

- स्थानीय समूह/किसान को निम्न के लिए सुविधा प्रदान करना -

  - जैविक उत्पादों के विपणन के लिए परिवहन व्यवस्था करना ।
  - https://www.jaivikkheti.in वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि और विपणन लेनदेन।
  - खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग।

- सुनिश्चित करें कि प्रणाली के तहत उत्पादन पर विश्वास एवं भरोसे के लिए जनता द्वारा पोर्टल डेटा का उपयोग किया जा सके ।
- सन्निहित क्षेत्र प्रमाणीकरण (contiguous area certification) के मामले में भू-संदर्भ वाले नक्शे तैयार करना ।